खण्ड–5, अंक–5
शुक्रवार, चैत्र 01, शक संवत् 1923
(22 मार्च, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2002)

(खण्ड 5 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–12
देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
ग्राम सभा रहजौलीजट, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार में रोपित जंगल से लकड़ी चोरी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
उत्तरांचल में बिक्रीकर नीति निर्धारण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा में ओलावृष्टि से हुई फलों की फसल को नुकसान से प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
उत्तरांचल में हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा के स्व-परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13–14
कृषि विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को श्रेणी दो में प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
उत्तरांचल प्रदेश में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किये गये विकास कार्यों की जानकारी सदन को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
अपर निदेशक कार्यालय, गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशक द्वारा कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	15
जनपद हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक कार्यों के सम्पादन में की गई अनियमितता पर कार्यवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में पटवारी प्रतापनगर व उसके चपरासी द्वारा धर्म सिंह की निर्मम पिटाई व अमानवीय व्यवहार के लिए कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	15–16
ऋषिकेश नगर में बन्द पड़े केबिल प्रसारण को अविलम्ब खुलवाने के लिए निर्देश देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	16
श्रीमती विजय बड़थ्वाल मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21-3-02 को नियम 56 के अन्तर्गत उठाई गई सूचना पर वन मंत्री की जांच आख्या	16–17
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	17–18

विषय	पृष्ठ संख्या
देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (पारित)	18–38
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	38–45
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	46–69
"विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को रु0 75 लाख से बढ़ाकर रु0 एक करोड़ कर दिया जाये" विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	69
"हरिद्वार में अर्द्धकुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थाई कार्य किये जायें" विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	69
"उत्तरांचल के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें" विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	70
उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243(क) से 243 य, च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय" विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	70
सबके लिए शिक्षा योजना की भांति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु कदम उठाये जायें" विषयक संकल्प (चर्चा जारी) ...	70
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	71
उत्तरांचल में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धावस्था व्यक्तियों को पेंशन की धनराशि भुगतान कराने के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	71–72
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बल्ब के निःशुल्क उपयोग करने के संबंध में श्री हरभजन सिंह चीमा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	72–74
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक 20 मार्च, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 (नत्थी "क") के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) ...	74
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	74–75
राष्ट्रगान	75
नत्थी	76–77

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह राणा
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री चन्द्रशेखर
18–श्री जोत सिंह
19–श्री तसलीम अहमद
20–श्री तिलक राज बेहड़
21–श्री तेजपाल सिंह रावत
22–श्री दिनेश अग्रवाल
23–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24–श्री नव प्रभात
25–श्री नारायण पाल
26–श्री नारायण राम आर्य
27–श्री नारायण सिंह जंतवाल
28–काजी निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पंत
30–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31–डा0 प्रताप बिष्ट
32–श्री प्रदीप टम्टा
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रीतम सिंह पंवार
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री फूल सिंह बिष्ट
37–श्री बलबीर सिंह नेगी
38–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री भगत सिंह कोश्यारी
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43–श्री महेन्द्र भट्ट
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45–श्री मातबर सिंह कण्डारी
46–श्री मालचन्द्र
47–चौधरी यशवीर सिंह
48–श्री योगम्बर सिंह
49–श्री रणजीत सिंह
50–श्री राम प्रसाद टम्टा
51–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53–श्री शूरवीर सिंह
54–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55–श्री शहजाद
56–श्री साधू राम
57–श्री सुबोध उनियाल
58–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60–श्री सुरेश चन्द जैन
61–श्री हरबंस कपूर
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65–श्री हीरा सिंह बिष्ट
66–श्री हेमेश खर्कवाल
67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

नगर पंचायतों के चुनाव कराने सम्बन्धी

* 1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

नगर पंचायतों/निकायों के चुनाव कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 247/2002 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु 22–3–2002 की तिथि नियत है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विशेष अनुज्ञा याचिका किसने दायर की है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? और दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन नगर पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या उनके बोर्ड भंग कर दिये गये हैं और क्या प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किसको नियुक्त किया गया है? तीसरा, यह कि हरिद्वार में नगर पंचायत के कार्यकाल को समाप्त किये हुए काफी समय हो गया है, वहां पर क्या व्यवस्था कर दी गयी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह याचिका नगर ब्लाक परिषद, रुड़की और अन्य द्वारा दायर की गयी है। जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां पर अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रशासक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं। हरिद्वार की व्यवस्था पूर्व के आदेशों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही चल रही है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई हलफनामा दे दिया गया है ? यदि दे दिया गया है, तो उसमें क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे दिया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव, 2002 के लिए समय सारिणी प्रस्तुत की गयी है। इसमें मतगणना की तिथि 12 मई है। 12 मई को मतगणना के पश्चात् परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

तारांकित प्रश्न

राज्य के बेरोजगार नवयुवकों हेतु रोजगार योजना

* 1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या श्रम मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या योजनायें बनाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन एवं परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

उत्तरांचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा समय– समय पर सम्पन्न किये जा रहे अनेक रोजगारपरक योजनाओं का मूल्यांकन कर अधिक प्रभावी एवं अधिक रोजगारपरक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख रूप से ग्राम्य विकास, उद्योग व शहरी विकास विभागों द्वारा रोजगार सृजन की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के कदम उठाये जा रहे हैं। ताकि रोजगार के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हों।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे अनेक रोजगारपरक योजनायें क्या–क्या हैं? जिनसे आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और ग्राम्य विकास द्वारा क्या–क्या योजनायें इसमें चल रही हैं, जो कि बेरोजगारों को रोजगार दे रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वे सरकारी योजनाओं को पहले से ही जानते हैं कि वे कैसे क्रियान्वित होती है ? मान्यवर, जो पुरानी योजनायें हैं, उन्हें अधिक कारगर तरीके से लागू किया जायेगा और नई योजनायें भी बनाई जा रही हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना का लक्ष्य है 7.22 का, जिसमें 1925 लोगों को लाभ मिलेगा। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य 11.70 लाख है जिसमें 3204 लोगों को लाभ मिलेगा, ग्रामीण स्वरोजगार योजना से भी बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक वानिकी आदि के माध्यम से भी लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा आई0टी0आई0 के माध्यम से दी जायेगा, जिसमें 35 व्यवसाय चल रहे हैं। हम केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति ही उत्तरांचल का विकास किया जायेगा। औद्योगिक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना

करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जायेगा। मान्यवर, मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप डिटेल सूचना चाहेंगे, तो वह भी मेरे पास है। सरकारी सेवाओं के 21476 पद रिक्त हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि योजनायें तो बताई गई हैं, लेकिन क्या सरकार यह आश्वस्त करेगी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण लेना चाहता है, उसे बैंक के बहुत से चक्कर लगाने पड़ते हैं? क्या सरकार आश्वस्त करेगी कि बैंकों से जो ऋण सुविधा मिलती है, उसको निश्चित समय पर या एक टेबल पर निर्धारण करके उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह हमारी सरकार और उत्तरांचल का सौभाग्य है कि हमें एक अनुभवी नेता माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मिले हैं। जो पुरानी व्यवस्था है, उसे समाप्त किया जायेगा और बेरोजगारों को सुगमता से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, रोजगार कार्यालय में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी सेवाओं में कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सरकारी सेवाओं में कुल 21476 पद रिक्त हैं और जो माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि कितने बेरोजगार, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं ? तो मान्यवर, यह मूल प्रश्न की सीमा में नहीं आता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी चयनित प्रक्रिया क्या है, इसका क्या मानक है? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकारी पदों पर भर्ती की जायेगी, क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसकी अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, निर्धारित होने पर सदन को अवगत कराया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा फिलहाल उत्तर देना सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने बेरोजगार पंजीकृत किये गये हैं, इस सम्बन्ध में क्या नीति बनायी गयी है? कृपया बताने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बेरोजगारों का पंजीकरण रोजगार कार्यालयों में होता है, जितनी सूचना उपलब्ध थी, वह मा0 मंत्री जी ने बता दी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसका सर्वेक्षण कब तक होगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम रोजगार कार्यालयों से सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सूचनाएं एकत्र होने में–एक माह, तीन माह, छः माह या साल भर कितना समय लगेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण हर दिन होता है। सूचना उपलब्ध होने पर सदन को जानकारी दी जायेगी। जितनी सूचना उपलब्ध थी मा0 मंत्री जी ने बता दी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा, मान्यवर, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप सब बोल सकती हैं, मान्यवर, कोई विशेष बात तो पूछी नहीं, प्रश्न का संदर्भ केवल बेरोजगारी से सम्बन्धित है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं किसी भी प्रश्न पर बोल सकती हूं यह तो मेरा अधिकार है, सूचना यदि मेरे पास हो तो मैं उत्तर दे सकती हूं। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी साहब शब्द का इस्तेमाल किया है, सदन में हमारे कई नये विधायक बैठे हुए हैं। आपका 28 साल का लम्बा अनुभव है। यदि आपके पास पूरी जानकारी हो तो बता दीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल इसलिए होता है कि कोई सही बात सामने आ जाय।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, कि प्रदेश में रोजगार कार्यालयों की संख्या कितनी है, यह तो योजना से संबंधित था, इसका औचित्य ही नहीं था।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी ये रोजगारपरक योजना है, इसमें बेरोजगार नवजवानों को अगर सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार मिलेगा तो अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हल्द्वानी सेवायोजन कार्यालय, काशीपुर सेवायोजन कार्यालय उत्तरांचल बनने के बाद बन्द होने की स्थिति में है। हल्द्वानी सेवायोजन कार्यालय की आप जांच करके देख लीजिए। उत्तरांचल बनने के बाद किसी को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला, मेरी जानकारी में आज तक किसी को वहां से रोजगार नहीं मिला। जहां तकनीकी में नवजवानों को रोजगार देने की बात है तो सेवायोजन कार्यालय में उनको तकनीकी शिक्षा देने के लिए संसाधन ही नहीं हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

उत्तरांचल के डिप्लोमा फार्मासिस्टों की मांगों पर कार्यवाही

* 2–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी मांगों के संबंध में विगत लम्बे समय से आन्दोलन में हैं ?

यदि हां, तो उनकी मांग क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

जी हां।

उत्तरांचल के डिप्लोमा फार्मासिस्टों की मांगों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 76 पर।)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशिक्षण किन शर्तों पर किया जाये ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एन0टी0 आई0 बैंगलोर में प्रशिक्षण हेतु एन0टी0आई0, बैंगलोर से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इस प्रशिक्षण में फार्मासिस्टों को भेजे जाने के लिए सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो प्रशिक्षण हो रहा है, किन शर्तों पर हो रहा है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, शर्तों के बारे में सूचना मंगवा ली जायेगी और जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाय, आपका जवाब था कि आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी। मेरा प्रश्न है कि कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसकी कार्यवाही चल रही है, यह जल्दी जारी कर दी जायेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, प्रभार भत्ता रु0 75/– से बढ़ा कर वर्ष 1989 से बढ़ी हुई मंहगाई भत्तों की दरों की गणना के अनुसार प्रभार भत्ता रु0 230/– प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यह कब तक दिया जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस संबंध में जल्दी निर्णय लिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए, पूछना चाहूंगा कि डिप्लोमा फार्मासिस्टों को पिछले दो–तीन सालों से, जो फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इण्डिया ने हमारी जो पॉलिटेक्निक है, उनको मान्यता नहीं दे रखी है ? कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करें। दूसरा प्रश्न यह है कि अभी तक जो फार्मासिस्ट नौकरी के लिए तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ? मेरी जानकारी में है कि रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। अभी उत्तरांचल फार्मेसी काउंसिल की स्थापना नहीं हुई है जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन होने पर ही फार्मासिस्ट को मान्यता प्राप्त होती है, तभी वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। कृपया माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो यहां के डिप्लोमाधारक हैं उनके रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है ? उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल में इसकी व्यवस्था के बारे में अध्ययन कराये जायेंगे, तभी इसकी सूचना दी जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, फार्मासिस्टों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर एवं ई0 एस0 आई0 में कार्यरत फार्मासिस्टों के अनुरूप वेतन दिये जायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फार्मासिस्टों को जो केन्द्रीय वेतनमान दिये जा रहे हैं वह क्या है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो पंचम वेतन आयोग का मामला माननीय सदस्य जी ने उठाया तथा फार्मासिस्टों को ई0 एस0 आई0 में कार्यरत फार्मासिस्टों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के संबंध में ई0 एस0 आई0 द्वारा जारी शासनादेश में अंकित वेतनमान निरस्त कर संशोधित किये जा चुके हैं। अतः उक्त के आधार पर वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। फार्मासिस्टों को पंचम वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वेतनमान कितना है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसकी सूचना हम आपको दे देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

शासकीय सेवा में कार्यरत डिप्लोमा फार्मासिस्ट को चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों की भांति डिप्लोमा फार्मासिस्ट को प्रशिक्षण की सुविधा दिये जाने हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाय। मान्यवर, इस संबंध में कहा जा रहा है कि पत्राचार किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि यह पत्राचार कब तक जारी रहेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जैसाकि इन्होंने अपने उत्तरों में ही कहा है कि विश्वविद्यालय से पत्राचार जारी है। महोदय, पत्राचार आप ही के समय से चला आ रहा है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी आपको उपलब्ध करायी जायेगी।

* 3–श्री गोपाल सिंह–

द्वितीय बुधवार के तारा0–2 में स्था0।

जनपद चमोली के जड़ी–बूटी शोध संस्थान की जानकारी

* 4–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मंडल, जिला चमोली में अपने पूर्ण स्वरूप के साथ कार्य कर रहा है ?

यदि हां, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1994 से निरन्तर संस्थान का कार्य कार्यकारी निदेशक द्वारा कार्य सम्पादन किये जाने के कारण संस्थान को विशेषज्ञों के प्रस्ताव के अनुरूप नहीं बनाया जा सका।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि, मुझे मौका दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जड़ी–बूटी शोध संस्थान जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में कार्य नहीं कर रहा है ?

मान्यवर, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बजट सत्र में इसका प्राविधान किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कम से कम सदस्यों को आपके यहां से निर्देश हो जाना चाहिए कि इस प्रश्नकाल में सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि सदन पीठ से चलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य चाह रहे हैं वह करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी माननीय अनुसूया प्रसाद मैखुरी जी ने प्रश्न किया था कि क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मण्डल (गोपेश्वर) जिला चमोली में अपने पूर्ण स्वरूप के साथ कार्य कर रहा है ? तो उत्तर आया जी नहीं, फिर पूंछा कि यदि हां तो कब से ? तब उत्तर आया कि प्रश्न ही नही उठता है। तो मान्यवर, क्या यह जड़ी–बूटी शोध संस्थान कभी कार्य ही नहीं करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा यह उसी का उत्तर है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, उसके सन्दर्भ में जो दिया गया है उसका जवाब है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूंगा कि जड़ी–बूटी की स्मगलिंग रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गोदिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह इस प्रश्न में पूछा नहीं गया था। इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जड़ी–बूटी संस्थान का जो कार्यालय रानीखेत में था, चूंकि यह मेरे क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि निदेशक, रानीखेत में बैठ रहे हैं या गोपेश्वर में ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है बाद में ले लूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आपको तो यह बात पता है कि निदेशक, रानीखेत में बैठ रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बरसूड़ी, बछणस्यूँ तथा रा0 एलोपैथिक अस्पताल, जैन्टा बछणस्यूँ के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रा0 आयुर्वेदिक, अस्पताल बरसूड़ी, बछणस्यूं तथा रा0 एलोपैथिक अस्पताल, जैन्टा बछणस्यूं जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता ने भूमि की रजिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी है ?

यदि हां, तो उक्त अस्पतालों के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बरसूड़ी, बछणस्यूं, जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण के लिये क्षेत्रीय जनता ने 05 नाली भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम कर दी है परन्तु राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, जैन्टा के नाम से कोई चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है तथा भवन निर्माण हेतु जनता द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गयी है।

जी नहीं।

चूंकि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, जैन्टा के नाम से कोई चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है अतः इसके भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बरसूड़ी, बछणस्यूं, जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु जिला योजना से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन बस अड्डे की जानकारी

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग में बस अड्डे के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी ? क्या बस अड्डे का निर्माण कार्य जल निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा किया जाना था ? क्या यह भी सत्य है कि निर्माण कार्य में दस लाख रुपये खर्च हुए हैं ?

क्या कारण है कि इस अड्डे का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त बस अड्डे का निर्माण शीघ्र करवायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

जी हां। रुद्रप्रयाग में जल निगम की निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0 एस0 को बस अड्डे के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा रू0 10.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

मूल योजना में बस अड्डे का निर्माण रुद्रप्रयाग के गुलाबराय स्थल पर प्रस्तावित था। किन्तु इस पर स्थानीय लोगों के प्रबल विरोध के कारण बस अड्डे का निर्माण स्थल परिवर्तित करना पड़ा, जिससे नये स्थल के स्थलाकृति में परिवर्तन के कारण योजना आंगणन पुनरीक्षित करना पड़ा। वर्तमान में पुनरीक्षित आंगणन/योजना के परीक्षणोपरान्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए धनराशि की एक और किश्त जारी किये जाने का निर्णय विचाराधीन है, जिससे बस अड्डे का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के रई तथा थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कार्य की जानकारी

3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रई तथा थरकोट नामक स्थानों पर कृत्रिम झील का निर्माण प्रस्तावित है ?

यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 में कितनी धनराशि उक्त निर्माण हेतु अवमुक्त की गई है तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

पिथौरागढ़ के रई एवं थरकोट स्थलों पर कृत्रिम झील के निर्माण हेतु योजना तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अभी योजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, किन्तु ये बड़ी योजनायें हैं। अतः इनमें भूमि की उपलब्धता, वन विभाग की अनापत्ति तथा तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद रुद्रप्रयाग में बस अड्डे के निर्माण हेतु प्रस्तावित एजेन्सी व उस पर अनुमानित व्यय राशि

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग में बस अड्डे का निर्माण किस निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित है तथा इसके निर्माण में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

इस बस अड्डे का निर्माण क्यों रुका है ? क्या सरकार इस बस अड्डे का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

रुद्रप्रयाग में बस अड्डे का निर्माण जल निगम की निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0 एस0 (श्रीनगर) के माध्यम से प्रस्तावित है। इस बस अड्डे के निर्माण में रु0 83.34 लाख व्यय होने का अनुमान है, यद्यपि इस राशि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

मूल योजना में बस अड्डे का निर्माण रुद्रप्रयाग के गुलाबराय स्थल पर प्रस्तावित था। किन्तु इस पर स्थानीय लोगों के प्रबल विरोध के कारण बस अड्डे का निर्माण स्थल परिवर्तित करना पड़ा, जिससे नये स्थल के स्थलाकृति में परिवर्तन के कारण योजना आंगणन पुनरीक्षित करना पड़ा। वर्तमान में पुनरीक्षित आंगणन/योजना के परीक्षण किया जा रहा है। विलम्ब का मुख्य कारण यही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए धनराशि की एक और किश्त जारी किये जाने का निर्णय विचाराधीन है, जिससे बस अड्डे का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के मंगलौर मण्डी समिति की अर्जित आय–व्ययक की जानकारी

5–काजी निजामुद्दीन–

क्या कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में वर्षवार मण्डी समिति मंगलौर, जनपद हरिद्वार की कितनी आय हुई है ?

उत्तरांचल राज्य बनने के बाद मण्डी समिति द्वारा अर्जित आय कहां–कहां खर्च की गई ?

क्या सरकार इस आय–व्ययक को व्योरेवार प्रस्तुत करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

जी हां।

पिछले पांच वर्षों में वर्षवार मण्डी समिति मंगलौर (हरिद्वार) की आय क्रमशः वर्ष 1996–97 में रु0 113.25 लाख, 1997–98 में रु0 144.96 लाख, 1998–99 में रु0 160.49 लाख, 1999–2000 में रु0 146.76 लाख तथा 2000–2001 में रु0 112.72 लाख हुई है।

उत्तरांचल राज्य बनने के बाद मण्डी समिति मंगलौर (हरिद्वार) की आय को मण्डी समिति के अधिष्ठान तथा विकास कार्यों पर खर्च किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है–

व्यय का विवरण	धनराशि रु0 में
(क) मण्डी समिति के अधिष्ठान व अन्य मदों पर खर्च की गई धनराशि	28,48,000.00
(ख) विकास कार्यों पर किया गया व्यय :	
1. सढोल मझरा से सढोली संपर्क मार्ग	93,985.00
2. मंगलौर मण्डी में आन्तरिक मार्गों की मरम्मत/ प्रीमिक्सिग	2,05,938.00
3. मंगलौर मण्डी में दुकानों की मरम्मत	1,21,162.00
4. मंगलौर मण्डी में स्थापित 45 के0वी0ए0 डीजल जनरेटिंग सेट की मरम्मत	71,017.00
5. लब्बरडेड़ी से नसीरपुर मडलाना वाया भीरपुर, भरतपुर सम्पर्क मार्ग	1,86,950.00
6. मानकपुर आदमपुर से मलस्वा सम्पर्क मार्ग	6,13,046.00
7. डगरपुर से पुरवाला धाट सम्पर्क मार्ग	5,86,418.00
8. कंटीजेंसी/अन्य व्यय	1,48,022.50
योग :	48,74,538.50

विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 की आज केवल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से 6 सूचनाओं को मैं स्वीकार करता हूं।

ग्राम सभा रहजौलीजट, थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार में रोपित जंगल से लकड़ी चोरी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार जिले में ग्राम सभा रहजौलीजट, थाना मंगलौर को 18 मई, 1988 को शासन द्वारा 757 बीघा वन भूमि में 85,000 शीशम, खैर आदि वृक्षों से रोपित जंगल दिया गया था। तभी से लकड़ी चोरी का सिलसिला शुरू हो गया और आज तक जारी है, जहां एक ओर सरकार वनों के बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर बेश कीमती जंगल को जिस प्रकार काटा जा रहा है, मैं उसकी सूचना सदन को देकर ध्यानाकर्षित करता हूं।

उत्तरांचल में बिक्री कर नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, बिक्री कर के विषय में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण उत्तरांचल प्रदेश में एकमात्र कुटीर उद्योग व व्यापार व फैक्ट्री बन्द होने के कगार पर हैं। जैसे ईंट–भट्ठा उद्योग, ईंट उद्योग पर हिमाचल प्रदेश में बिक्री कर शून्य है व पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहुत कम है। ऐसे ही गुड़ उद्योग पर उत्तर प्रदेश में बिक्री कर शून्य है। उत्तरांचल में डेढ़ प्रतिशत है व हवन सामग्री के विषय में भी उत्तर प्रदेश में बिक्री कर शून्य है। पुरूषोत्तम स्टील पाइप भी बिक्री कर के कारण बन्द होने के कगार पर है।

अतः महोदय से आग्रह है कि बिक्री कर के विषय में सरकार को तुरन्त नीति निर्धारण करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा में ओलावृष्टि से हुई फलों की फसल को नुकसान से प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, दिनांक 20–3–2002 के दिन जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विकास खण्ड में जबरदस्त ओलावृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र की फल पट्टी में फलों के वृक्षों से फल पूरी तरह से नष्ट हो गये। पूरे दिन रहने वाली ओलावृष्टि से जनता की आजीविका का एकमात्र साधन छिन चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावित नागरिकों को मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूँ।

उत्तरांचल में हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा के स्व–परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तरांचल में हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा के लिए स्व–परीक्षा केन्द्र समाप्त कर लिये गये हैं। फलतः एक दूसरे विद्यालय के छात्र–छात्राओं को परीक्षा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने अपने विद्यालय को छोड़कर अन्य विद्यालयों में जाना पड़ता है। फलतः छात्र–छात्राओं को दूसरे विद्यालय में परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देते समय खाने–पीने तथा रहने की दिक्कत उठानी पड़ती है। विशेषकर छात्राओं को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में स्व–परीक्षा केन्द्र बनाये जायें। मात्र प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को एक–दूसरे विद्यालयों में भेजा जाना उचित रहेगा। जनहित में यह निर्णय उचित रहेगा।

कृषि विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को श्रेणी–दो में प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कृषि विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतनमान आदि अन्य विभाग जैसे लो0नि0वि0/सिंचाई/ग्रा0अ0 सेवा के समान ही हैं। अन्य विभागों में अवर अभियन्ताओं से प्रोन्नति श्रेणी दो में की जाती है तो कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं को श्रेणी दो में आज तक प्रोन्नति नहीं दी गयी। जो न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है।

अतः सरकार को निर्देश दिया जाय कि समानता के आधार को मद्दे नजर रखते हुए कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं को भी शीघ्र प्रोन्नति दी जाय।

जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय जनसंख्या दबाव के कारण अत्यंत व्यस्त तथा अनियोजित शहर बन गया है। शहर में सीवर तथा सीवेज के निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण जनता को व्यापक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण आय–दिन विभिन्न प्रकार की महामारियां फैल जाती हैं। मुख्यालय में सीवर लाइन निर्माण का प्रस्ताव शासन तथा सम्बन्धित विभाग में लम्बित है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सीवर लाइन निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री फूल सिंह बिष्ट, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्री महेन्द्र भट्ट की सूचनायें निर्धारित रूप में न होने के कारण इनको मैं अस्वीकार कर रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, परम्परा यह है कि अन्तिम दिन सभी सूचनायें स्वीकार कर ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इनको स्वीकार करता हूं।

उत्तरांचल प्रदेश में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किये गये विकास कार्यों की जानकारी सदन को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में कार्य कर रही स्वयं सेवा संस्थाएं (एन0जी0ओ0) जिनको विश्व बैंक द्वारा उत्तरांचल के सुदूरवर्ती ग्रामों में गरीबों के लिए रोजगार, शिक्षा, पेयजल एवं उनका सामाजिक स्तर उठाने के लिए करोड़ों रुपया दिया जा रहा है।

1–कितनी ऐसी संस्थाएं सरकार द्वारा रजिस्टर्ड की गयी हैं ?

2–इसके कार्य की देखभाल सरकार का कौन सा विभाग देख रहा है ?

3–कहीं इस पैसे को संस्थाओं द्वारा ग्रामों के विकास में न लगाकर मुख्य कर्ता–धर्ता अपना विकास तो नहीं कर रहे हैं ?

4–क्या सरकार विश्व बैंक द्वारा दिये गये इन करोड़ों रुपयों से हुए विकास की जानकारी इस सदन के सदस्यों को देगी ?

अपर निदेशक कार्यालय गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशक द्वारा कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अपर निदेशक कार्यालय गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशक कब तक कार्य करना शुरू करेंगे ?

जनपद हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक कार्यों के सम्पादन में की गयी अनियमितता पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* कुंवर प्रणव सिंह् "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरे गृह जनपद हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक कार्यों के सम्पादन में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग, रिश्वत लेना, सामग्री क्रय में कमीशन लेना, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारी अनियमितता एवं भाई–भतीजावाद अपनाये जाने के आक्षेप लगाये जा रहे हैं। जनता में उनके इन कृत्यों के कारण भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्त्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में पटवारी प्रतापनगर व उसके चपरासी द्वारा श्री धर्म सिंह की निर्मम पिटाई व अमानवीय व्यवहार के लिए कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 20–3–2002 को प्रतापनगर पटवारी प्रतापनगर व उसके चपरासी द्वारा सरे आम श्री धर्म सिंह, निवासी खोलत्रद, प्रताप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर–टिहरी को निर्ममता से पीटा गया एवं उसके साथ अत्यन्त अमानवीय व्यवहार किया गया। जिससे उसको गम्भीरता से जख्मी किया गया। श्री धर्म सिंह, ठेकेदारी का कार्य करते हैं तथा उक्त पटवारी और अन्य ठेकेदार, जो धर्म सिंह के प्रतियोगी हैं, द्वारा यह जघन्य कृत्य दुर्भावनावश किया गया।

मैं नियम 301 के तहत इस महत्वपूर्ण विषय द्वारा माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार द्वारा कार्यवाही की तुरन्त मांग करता हूं।

ऋषिकेश नगर में बन्द पड़े केबिल प्रसारण को अविलम्ब खुलवाने के लिए निर्देश देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान ऋषिकेश नगर में दिनांक 14 मार्च, 2002 से बन्द पड़े केबिल प्रसारण की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इसके कारण प्राइवेट चैनलों के साथ–साथ केबिल प्रसारण से दिखाये जाने वाले राष्ट्रीय चैनलों का प्रसारण भी बन्द पड़ा है। परिणामस्वरूप स्थानीय जनता में आक्रोश है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि वह बन्द पड़े केबिल प्रसारण को अविलम्ब खुलवाने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी की सूचना है, चूंकि यह नियमों के दायरे में नहीं आता, इसलिए मैं इसे नहीं ले रहा हूं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21–3–2002 को नियम 56 के अन्तर्गत उठाई गई सूचना पर मा0 वन मंत्री की जांच आख्या

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

दिनांक 21–3–2002 को श्रीमती विजय बड़थ्वाल मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत उठाई गई सूचना की ग्राह्यता के समय मेरे द्वारा प्रकरण की जांच कराकर स्थिति से सदन को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया था। सूचना के विषय की जांच के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं :

राजाजी राष्ट्रीय पार्क, चीला में चंचलकली नाम की हथिनी (उम्र लगभग 55 वर्ष) के चेहरे पर 21–02–2002 को सूजन दिखाई देने पर उसका परीक्षण राजकीय पशु चिकित्सालय, हरिद्वार के चिकित्सक डा0 रामानन्द से कराया गया। उन्होंने लीवर की बीमारी का इलाज आरम्भ किया व खून की जांच करवाने को कहा। खून की जांच कराने पर लीवर की बीमारी की पुष्टि हुई। दिनांक 12–03–2002 को भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के डा0 पी0के0 मलिक ने भी डा0 रामानन्द के साथ हथिनी का परीक्षण किया व लीवर की बीमारी की पुष्टि की। उनके द्वारा भी लीवर का इलाज जारी रखने का परामर्श दिया गया। लीवर का इलाज अभी चल रहा है। डा0 लोकेश कुमार, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय, ऋषिकेश जिन्हें हाथियों के इलाज का यथेष्ठ अनुभव है, के द्वारा भी दिनांक 21–03–2001 को हथिनी का परीक्षण किया गया व उन्होंने भी लीवर की पुरानी बीमारी होने की पुष्टि की व इलाज जारी रखने की सलाह दी। इसी बीच कार्बेट

राष्ट्रीय पार्क से एक अनुभवी महावत को भी बुलाकर हथिनी परीक्षण करवाया गया। वे भी देसी दवा से हथिनी का इलाज कर रहे हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक व उनके अधीनस्थ अधिकारी हथिनी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं, निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्वयं चीला जाकर हथिनी की देखभाल व उपचार सुनिश्चित करा रहे हैं।

इससे पूर्व जिस हथिनी की चीला में मृत्यु हुई, उसका नाम प्रेमकली था व उसकी उम्र लगभग 47 वर्ष थी। इसकी मृत्यु दिनांक 12–07–2001 को एन्टेसटाइलन टार्सन के कारण हुई। उक्त हथिनी दिनांक 04–07–2001 से बीमार थी तथा उसका इलाज भी विभिन्न अनुभवी डाक्टरों से करवाया गया था।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2002 की बैठक में दिनांक 22 मार्च, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

22 मार्च, 2002
शुक्रवार

(1) विधायी कार्य।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

(4.00 बजे से)

(3) असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।

1. श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री सुरेश चन्द, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाय।"
2. श्री मदन कौशिक–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्धकुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।"
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी–"इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।"
4. श्री प्रकाश पंत–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243(क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।"

5. श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार–"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भांति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायं।"

संसदीय कार्यमंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

* औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसके बारे में दो शब्द भी कह दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक प्रदेश में निजी क्षेत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट (चेरिटेबिल) द्वारा संचालित होगा तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय में 04 संकाय खोलना परिकल्पित हैं तथा शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वावलम्बन प्रस्तावित विश्वविद्यालय की उत्तरांचल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन से आर्थिक सहायता की कोई अपेक्षा नहीं है और विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए प्रस्तावित विधेयक में कई प्राविधान रखे गये हैं। ऐसे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में भी निजी क्षेत्र में खोले जा चुके हैं तथा उन्हें खोले जाने की विधिक शक्ति माननीय विधान सभा में निहित है।

प्रस्तुत विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश दिनांक 22 जनवरी, 2002 को प्रख्यापित किया जा चुका था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज उत्तरांचल विधान सभा में एक ऐतिहासिक विधेयक यहां रखा गया है, मैं आपके माध्यम से नेता सदन को बधाई देता हूं। मान्यवर, हम आभारी हैं कि आपने जो विधेयक यहां रखा है, यह विधेयक पूर्व की सरकार ने भी रखा था। मान्यवर, यह मानवीय आस्था का विश्वविद्यालय है। यह हमारा सौभाग्य है, इस विश्वविद्यालय में पूरे संसार से लोग यहां आयेंगे। मान्यवर, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा कि आपने जो कमेटी बनाई है, उसमें तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य रखे जायें ताकि यदि भविष्य में किसी बिन्दु पर मतदान हुआ तो विवाद न होने पाये।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, जैसा कि मेरे योग्य सहयोगी राज्य मंत्री ने इस पर विचार करते समय जो संक्षिप्त टिप्पणी की उससे स्वतः स्पष्ट है। विधेयक पढ़ने से स्वतः स्पष्ट है कि यह अपने ढंग का एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गायत्री परिवार के 2–3 जो अनुष्ठान होते हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करा कर जिस विचारधारा के अधीन यह गायत्री पवित्रता के लिए अक्षुण्य है, उस स्थिति को जीवन में कैसे प्रयोग किया जाये। यह गायत्री मंत्र के महत्व को सही मायने में देखने का प्रयास है। यह हमारी संस्कृति को अध्यात्मिक रूप में नये आयाम देने का प्रयास है, जो 20वीं, 21वीं शदी के अनुरूप है। इसलिए इस पर ऐसे संशोधन लाये गये, यह गायत्री परिवार के विद्वानों से परामर्श के बाद लाये गये, इस पर विधान सभा के सदस्यों से भी परामर्श हुआ और विधायकों को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह बड़ी मुख्य बात है कि सदन से राज्य से कोई आर्थिक अपेक्षायें रुपये पैसे की नहीं कर रहा है। इसके रहते हुए हमारे कानून को गायत्री परिवार ने स्वीकार किया है, इसके लिए गायत्री परिवार और उनके प्रमुख श्री प्रणव पाण्डया जी बधाई की पात्र हैं। जब उनसे प्रतिनिधीन में बात हुई उन्होंने जहां विधायकों को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस नाते यह एक अच्छा कदम है। प्रारम्भ में ही यह शुभ कार्य में हाथ बढ़ाने का मौका मिला है। मैं इस विश्वविद्यालय को एक अच्छा अवसर मानता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

* श्री काशी सिंह ऐरी–

अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी आखिरी में बोलते। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह एक नया अनूठा प्रयोग हमारी सरकार ने किया है। विश्वविद्यालय खोलने के लिए विधेयक बनाकर लाया गया और मुझे खुशी है कि सरकार के इस कृत्य पर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार को धन्यवाद भी दिया। यह बात अलग है कि यह अध्यादेश पहले भी आ सकता था, किन्तु वह 22 जनवरी, 2002 को आया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसका फायदा उठाया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मान्यवर, मेरा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव है जैसा कि माननीय सदस्य अजय भट्ट जी ने दिया है, वह सही है। इसके अलावा इसमें एक व्यवस्था सरकार यह करे, और यह सम्भव भी है इसमें थोड़ी विधिक रूप से कठिनाई आ सकती है, लेकिन यह असम्भव नहीं है। इसमें व्यवहारिक कठिनाई आ सकती है कि इसमें अध्ययन के लिए जो फैकल्टी होगी उसमें हमारे प्रदेश के मेधावी छात्र हों, किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हों तथा इस विषय में अभिरूचि रखते हों। सरकार की ओर से यह शर्त रख दी जाय कि इतने प्रतिशत लोगों को इसमें चुना जा सकता है। इससे उत्तरांचल के जो विद्यार्थी हैं, उनको फायदा होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। वैसे मैं यहां के निवासियों के लिए आरक्षण की मांग नहीं कर सकता, जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षा देने के लिए आयेंगे वह तो केन्द्र से ही आयेंगे। लेकिन अध्ययन के सम्बन्ध में यहां के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कुछ आरक्षण दिया जा सकता है।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि जिन माननीय तीन विधायकों को इसमें सदस्य बनाया गया है उसमें एक हरिद्वार का भी होना चाहिए क्योंकि यह हरिद्वार जनपद के अन्दर खुल रहा है, तो हरिद्वार से किसी माननीय विधायक को भी इसमें शामिल किया जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)--

मान्यवर, चूंकि पहले ही माननीय नेता सदन बोल चुके हैं। विश्वविद्यालय खोलने की भावना पर तथा इसके पीछे जो मकसद है, वह पूरा हो चुका है। चूंकि हमने जब इसका अध्यादेश जारी किया था, वह पहले भी जारी हो सकते थे। लेकिन एक साल, सवा साल के कार्यकाल में जितना अच्छा हो सकता था वह हमने किया। देवभूमि उत्तरांचल लोग बोलते हैं इसलिए शांतिकुँज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय खुले, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आध्यात्म तथा देववाणी आदि का अध्ययन होगा, एक अलग किस्म की बात होगी। हमारी सरकार के सामने जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब इस विश्वविद्यालय की बात आई थी। बहुत से लोग यहां आयुर्वेद के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रस्ताव लेकर आये हैं। यह काम उत्तरांचल के हित में है। इस प्रस्ताव को अल्पकाल में ही जितनी जल्दी हो सके इसे अध्यादेश के रूप में लाकर जनहित में शीघ्र पूरा किया जाये। लेकिन इसमें केवल उत्तरांचल के निवासियों को ही शामिल किया जाय। इस प्रकार की बाध्यता न रखी जाय। शांतिकुँज देश-विदेश से पैसा लाकर इस तरह का अच्छा कार्य कर रहा है।

मान्यवर, मैंने भी मंत्रिमण्डल में प्रस्ताव किया था तो उसमें चर्चा आई, क्यों न विधायकों को रखा जाये। लेकिन बाद में नये मंत्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। मान्यवर, विधेयक जिस रूप में आये, उसी रूप में पारित कराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–50 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

(विधेयक संख्या वर्ष 2002)

राज्य में श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तरांचल द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित, या आनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. (1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में– परिभाषाएं

(क) 'शैक्षिक परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक/विद्या परिषद् से है;

(ख) 'घटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृन्द भी हैं;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ज) 'हॉल' अथवा 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो, या मान्यता प्राप्त हो;

(झ) 'श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट' का तात्पर्य शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल स्थित पंजीकृत पूर्त न्यास से है;

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग के नागरिकों से है;

(ठ) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;

(ड) किसी घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहां प्राचार्य न हों, वहां उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ढ) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;

(त) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(द) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।

अध्याय - 2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. (1) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात् :-

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक समझे;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) परिनियमावली और नियमावली बनायेगा; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जैसी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा की जाय।

(3) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है, वहां राज्य सरकार श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट,

शांतिकुंज, हरिद्वार को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।

(5) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने निवेश स्थापित कर सकती है।

(6) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य, प्रबन्ध मण्डल और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(7) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियां, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार की सम्पत्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का जिस निमित्त अधिगृहीत है, उसके अलावा किन्हीं अन्य प्रयोग के निमित्त परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

4. विश्वविद्यालय राज्य सरकार से या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या कोई अन्य वित्तीय सहायता की कोई मांग नहीं करेगा और नहीं उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

5. विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य–जिन उद्देश्यों के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वे इस प्रकार हैं :–

(क) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य देव संस्कृति के सभी मौलिक तत्वों के व्यापक अध्ययन/शिक्षण एवं आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनके शोध अनुसंधान का सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा करना है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के अपने आदर्श सूत्र के अनुरूप इसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के समूचे देश एवं विश्वभर में फैली समूची मानव जाति को लाभान्वित करना है।

देव संस्कृति का सही अर्थ देवभूमि भारत के ऋषियों, संतों एवं मनीषियों द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों, परम्पराओं एवं प्रयोगों में निहित है। इन्हें अपनाकर मनुष्य सहज ही अपने दैवी एवं दिव्य गुणों को विकसित कर सकता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्य के मूल बिन्दु निम्न होंगे, जिनमें :–

1. साधना का अर्थ है–मानव चेतना में आदर्शोंन्मुखी चिंतन एवं प्रवृत्तियों के विकास–सम्बन्धी प्रयोग एवं शिक्षण।
2. स्वास्थ्य के अन्तर्गत मनुष्य के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक जीवन के लिए आयुर्वेद सहित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधियों पर गहन शोध, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था जुटायी जायेगी।
3. शिक्षा के अन्तर्गत मानव जीवन के सभी आयामों को दैवी जीवन के अनुरूप प्रशिक्षित करने वाले दार्शनिक, साहित्यक एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जायेगा।
4. स्वावलम्बन के अन्तर्गत उन पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा जो 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की नीति का पालन करते हुए युवा पीढ़ी को मूल्यनिष्ठ, स्वावलम्बी एवं सुखी बना सके और साथ ही पर्यावरण के भी अनुकूल हों।

(ख) शिक्षण की सभी अग्रलिखित शाखाओं में अनुदेश–मानविकी, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, मंत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान जिसमें आयुर्वेद और उत्तरांचल में पाये जाने वाले प्राणी–जगत पर विशेष बल हो, वेदों का अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, ग्रामीण एवं शहरी विकास जिसमें उत्तरांचल की संस्कृति का ध्यान रखा गया हो, यान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी जिनमें प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, उद्यमकर्मिता, विकास प्रशिक्षण के जरिये स्वरोजगार जिसमें उत्तरांचल और उसकी जलवायु एवं भूगोल पर विशेष बल हो, छात्र और छात्राओं दोनों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी। छात्रों के बीच भारतीय संस्कृति को बढावा देने के लिए विश्वविद्यालय विशेष प्रावधान करेगा।

(ग) शिक्षण की वैसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

(घ) ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना।

(ङ) समाज के सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिए पाठ्येत्तर अध्ययन एवं अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा लेना।

(च) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के लिए ऐसे सारे कार्य एवं संक्रियाओं, जो कि आवश्यक या साध्य हों, को करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान एवं ज्ञान–अभिवर्धन और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित एवं प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने–

(अ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ब) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियां, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित एवं प्रदान करना;

(छ) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अधिनियमों द्वारा नियत किये जायें;

(ज) खण्ड (6) में उल्लिखित भारतीय संस्कृति और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(झ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येत्तर क्रियाकलापों की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार की पूर्व अनुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियां, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ड) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ढ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करना;

(त) प्रशासकीय, लिपिक–वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;

(ध) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार–गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(प) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष उपबन्ध करना;

(फ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा–शर्तों को अधिकथित करना;

(ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों;

(भ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य उपाधि के ऐसे ही पाठ्यक्रम रखना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आच्छादित हो, परन्तु डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता होगी;

(म) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को ट्रस्ट की अन्य गतिविधियों से अलग रखा जायेगा।

विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों, मतों एवं लिंगों की पहुंच होगी

8. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा भले ही वे किसी वर्ग, पंथ या लिंग के हों :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है;

परन्तु अग्रेत्तर यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है।

9. ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास (हॉल/छात्रावास) में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा नियमावली द्वारा विहित किये जायें। छात्रों का आवास

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलाधिपति;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(च) कुल सचिव;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

11. (1) डॉ० प्रणव पण्डया, ट्रस्टी, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल, निदेशक, ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान और प्रमुख, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा तत्पश्चात् वेदमाता गायत्री ट्रस्ट अपने ही ट्रस्टियों में से राज्य सरकार की पूर्व सहमति से पुनः कुलाधिपति नियुक्त करेगी। कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।

(3) प्रत्येक मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(4) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियां, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रतिनिधायन कर सकेगा।

12. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों की नाम–सूची में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी; कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; नामतः :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल के तीन नाम निर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उपकुलाधिपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन सदस्यों के नामों की एक नाम–सूची तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति सम्यक् जांच के बाद कुलपति को हटाये जाने में सशक्त हैं। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता के मद्देनजर, कुलपति को निलम्बित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रति–कुलपति

13. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाय और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों में विहित किये जायें।

संकायों के संकायाध्यक्ष

14. संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों में विहित किये जायें।

15. (1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी कि विहित की जायें। कुल सचिव

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

16. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग, अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें, या कुलाधिपति, या कुलपति, या कुल सचिव द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों। वित्त अधिकारी

17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें। अन्य अधिकारी गण

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

19. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :– व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियां

(अ) कुलाधिपति — अध्यक्ष

(ब) कुलपति — सदस्य–सचिव

(स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा नामित पांच व्यक्ति।

(द) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव।

(य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित सदस्य।

(र) कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षाविद्।

(ल) उत्तरांचल विधान सभा के तीन मा0 विधायकगण।

व्यवस्थापक मण्डल एवं उसकी शक्तियां

(2) व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी शक्तियां निम्नलिखित होंगी :–

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना; और

(ज) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना, जो कि समय–समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढांचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों द्वारा घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव पारित करेंगे।

प्रबन्ध मण्डल

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

(1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(अ) कुलपति;

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति;

(स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा नामित पांच व्यक्ति;

(द) विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक, प्रत्येक भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से;

(य) कुलाधिपति द्वारा संकायों के दो नामित संकायाध्यक्ष;

(र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित सदस्य संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें

21. (1) शैक्षिक (विद्या) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :— शैक्षिक (विद्या) परिषद्

(अ) कुलपति सभापति

(ब) कुल सचिव सचिव

(स) अन्य सदस्य परिनियमों में विहित किये जायें।

(2) शैक्षिक परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी।

22. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :— वित्त समिति

(अ) कुलपति सभापति

(ब) वित्त अधिकारी

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो।

(द) ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

23. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें। अन्य प्राधिकारी गण

24. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी। रिक्ति के कारण कार्यवाही का अवधिमान्य न होना

अध्याय — पाँच

परिनियम और नियमावली

25. इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :— परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य—सम्पादन की और ऐसी इकाईयों के गठन की, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया;

(ग) कुलपति, कुल–सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की सेवा, शर्तें, उनकी शक्तियां एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ट) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ठ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(ढ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पारितोषकों को संस्थित करना;

(त) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो, या जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

26. (1) परिनियम श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, परिनियमों की प्राप्ति की दिनांक के तीन माह के भीतर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिनियमों के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

27. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अधिनियम

28. इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमावली में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन होना और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाये।

प्रथम नियमावली

29. (1) नियमावली श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली को राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उपान्तर के साथ, या बिना उपान्तरण के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमावली के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

30. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, शैक्षिक परिषद् नयी या अतिरिक्त नियमावली बना सकेगी, या नियमावली को संशोधित, या निरसित कर सकेगी।

अध्याय – छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

31. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार, छात्रों या कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने में सशक्त होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर आर्बिटेशन अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

32. विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही परिनियमों के अनुसार होगी।

अपील करने का अधिकारी

33. विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य एवं पेंशन निधियां

34. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, या समस्त सदस्य, या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

37. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

38. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अधिनियमों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए तत्पर है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

39. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी :– संक्रमणकालीन उपबन्ध

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में ग्यारह से अनधिक सदस्य, जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, होंगे;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम शैक्षिक परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

40. (1) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता। स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय् सामान्य निधि, या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा; किन्तु स्थायी विन्यास निधि की राशि को विश्वविद्यालय के विघटन की दशा छोड़कर किसी भी दशा में अन्तरित करना प्रतिबन्धित होगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट धनराशि से प्राप्त आय का अधिकतम 75 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा विकास कार्यों के लिए व्यय किया जा सकेगा जैसा कि धारा 42(च) में उपबन्धित है। शेष 25 प्रतिशत आय स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

41. (1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :– सामान्य निधि

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

42. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि की स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

43. धारा 40, 41 और 42 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

44. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा और सम्परीक्षा

45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका वितरण या संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की सम्परीक्षा ऐसे न्यूनतम दो सम्परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी, जो इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के सदस्य हों।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

46. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी पंजिका की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल–सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के, या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती। विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

47. (1) यदि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है, तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन् माह का लिखित नोटिस देगा। श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट का विघटन

(2) विश्वविद्यालय के प्रबन्धन तंत्र में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों के परिलक्षित होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को दिशा–निर्देश जारी करेगी, जिनका अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं यू0जी0सी0 से परामर्श करके, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार के विघटन के दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाये।

48. (1) धारा 47 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन में होने वाले व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा। श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट के विघटन के दौरान विश्व–विद्यालय का व्यय

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

49. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

50. श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को इस विधेयक द्वारा निरसित समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–50 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य स्थगन का प्रस्ताव ले रहा हूं। आज नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो श्री मदन कौशिक, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण पाल और श्री अनिल नौटियाल जी की हैं।

श्री मदन कौशिक जी आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत जो कार्य स्थगन की मेरी सूचना है, यह बड़ी तात्कालिक और लोक महत्व की है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में हर की पैड़ी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रत्येक वर्ष वहां करोड़ों यात्री आते हैं, लेकिन, आजकल हर की पैड़ी में बड़ी विडम्बना हो गयी है। मान्यवर, उस क्षेत्र में हजारों भिखारी इकट्ठे हो जाते हैं, और जो धार्मिक कार्य करते हैं, उनको व्यवधान पहुंचाते हैं। जो उनके हाथ में होता है, वे उसको छीन लेते हैं और इससे स्थिति यह हो जाती है कि जो धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति है, वे उस मार्ग को छोड़कर दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। इससे स्थिति यह रहती है कि जो व्यापार के लोग हैं, व्यापार मण्डल है, वे भी इससे दुःखी हैं।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर श्री इसका बुरा असर पड़ रहा है। जिस प्रकार से वहां हजारों भिखारी इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी वजह से व्यवधान उत्पन्न होता है, इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि इन भिखारियों को हटाया जाना चाहिए और वहां के जो लंगर हैं, वहां से कहीं और स्थापित किये जाने चाहिए। इसके लिए कई बार कोशिश भी हुई और मेले आदि के समय में ये लंगर दूसरी जगह भी ले जाये जाते हैं, किन्तु मेले के समाप्त होने के बाद फिर वहीं चले आते हैं। इसके साथ ही भिखारियों द्वारा भी व्यवधान उत्पन्न होता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन भिखारियों को वहां से हटाया जाय और धार्मिक कार्यों को करने वाले तथा अन्य लोगों को वहां उचित व्यवस्था प्रदान की जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लघु उद्योग जल विद्युत योजना तिलवाड़ा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह योजना लगभग 30–35 वर्ष पहले बनी थी और बाकायदा चमोली जनपद को बिजली देती थी।

* समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, नियम 56 के द्वारा जो विचार रखे, मैं उस पर माननीय सदस्य और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध धर्म–स्थल है, जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन यात्री गंगास्नान और अन्य धार्मिक कार्यों हेतु आते हैं। ये यात्री यहां दान, पुण्य तथा पितृों की तृप्ति के लिए आते हैं। जिला प्रशासन द्वारा हर की पैड़ी के भिक्षुओं पर समय–समय पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं तथा जिला प्रशासन द्वारा भिक्षुओं को भी हटाया जा रहा है। हरिद्वार में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक भिक्षु गृह, 200 क्षमता का भिक्षु गृह–एक किराये के मकान में संचालित किया जा रहा है। अधिनियम 1975 की धारा 9/10 के अन्तर्गत निरुद्ध भी किया जा रहा है, वर्तमान में 63 भिक्षुओं को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध भी किया गया है। एक भिक्षु गृह के लिए निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है, जिस पर तुरन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शासन, जिला प्रशासन द्वारा यह अथक प्रयास किया जा रहा है कि हर की पैड़ी क्षेत्र में भिक्षावृत्ति का उपयोग न रहे तथा यह क्षेत्र साफ–सुथरा रहे ताकि हरिद्वार में अधिक संख्या में यात्री आये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्तमान में वहां विचित्र स्थिति है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अग्राह्य कर रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री [श्रीमती इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, भिक्षावृत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश में जो अधिनियम बना था, वही यहां पर लागू है। यहां पर कोई नया अधिनियम अभी नहीं बना है। अधिनियम लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति जारी रही। धार्मिक तीर्थयात्रियों द्वारा पुण्य कमाने के उद्देश्य से लंगर तथा भोज का जो आयोजन किया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हरिद्वार जनपद में यह प्रतिबन्ध लगातार लगाया जाता रहा है। इन भिक्षुओं के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भिक्षुक गृह बनाने हेतु वित्तीय संस्तुति भी दी गयी है। एक ओर जहां मंदिर इन भिक्षुओं से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी बहुत सी कुरीतियों की जानकारी भी समय-समय पर मिलती रही है। इसके बाद भी इन्हें बन्द करना या जेल में भेजना बहुत कठिन है, इस बात से आप भी सहमत होंगे। इनके निवारण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और हम सबको भी व्यक्तिगत प्रयास करना होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हर की पैड़ी से उन लंगरों को हटाकर अन्यत्र स्थापित कर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन ऐसे निर्देश दे दिये जायेंगे कि उन लंगरों को वहां पर न बनने दिया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के नियम 86–87 में यह प्राविधान है कि दो वर्ष के अन्दर विधि बना ली जाय। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में कोई विधि बनायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब आप सवा साल में कोई विधि नहीं बना पाये तो हमसे यह उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हम 20–21 दिन में उसे बना देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार बार–बार यही कहती है कि एक साल में आप नहीं कर पाये। यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रही हूं। आप ही के सहयोग से बिल यहां से पास होगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी यहां पर बैठे हैं और इन्दिरा जी भी बहुत सीनियर मेम्बर हैं। यहां इस तरह के आक्षेप वाली बात नहीं आनी चाहिए। इस मुद्दे पर इतनी लम्बी बहस नहीं होनी चाहिए थी। सरकार कन्टीन्यूअस होती है। बार–बार एक साल की बात कहना कोई स्वस्थ्य परम्परा नहीं है। विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपको पूरा सम्मान मिलेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन जब आप पूछते हैं कि कब बनेगा, किस दिन बनेगा तो मजबूरी में हमें कहना पड़ता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मान्यवर, ये जो भिक्षुक हैं, ये भिक्षुक नहीं, बल्कि वास्तव में जेबकतरे हैं, जो तीर्थयात्रियों की जेब काटते हैं। मान्यवर, जब किसी तीर्थयात्री की जेब कट जाती है तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार तो ऐसा होता है कि यात्री के टिकट तक के पैसे नहीं बचते हैं। मान्यवर, इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाय, ये मेरा अनुरोध है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप सदन को व्यवस्थित करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी बात सुनें तो नियम 300 में जो मैंने प्रश्न उठाया था, वह इसी लिए उठाया था कि सदन व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन आपने मेरी बात को हंसी में टाल दिया। मान्यवर, मैं जनपद रुद्रप्रयाग............।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जब मेरा नाम लिया गया है तो मुझे बोलना ही होगा। आपने प्रश्न अध्यक्ष को संम्बोधित किया था, जबकि आप इस सम्बन्ध में कभी भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। इस प्रश्न को आप व्यवस्था के माध्यम से हर समय उठा सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं, यदि आप कहें तो मैं नियमावली पढ़कर सुना दूं। मान्यवर, पीठ की बातों पर किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा नामक स्थान पर एक लघु जल विद्युत परियोजना है, यह परियोजना पहले बिजली देती थी, आज इस परियोजना को देखकर रोना आता है, वहां पर जो आवासीय भवन है, वहां पर गांववासियों के भेड़–बकरी, भैंसें रहती हैं, इन आवासीय भवनों को देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, वहां पर जो मशीनें हैं, वे जंग खा रही हैं, यदि इसको चालू किया जाय तो वहां के लोगों को बिजली प्राप्त हो सकती है। उत्तरांचल में लगभग 22 लघु बिजली परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक है, मैं चाहता हूं, इस पर चर्चा करायी जाय, ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली प्राप्त हो सके।

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल में जो 22 लघु विद्युत परियोजनाएं हैं, वे उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् द्वारा बनायी गयी है और अब उत्तरांचल को प्राप्त हुई हैं, यह सभी परियोजनायें बहुत खराब हालात में प्राप्त हुई हैं, इनसे

विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जो विद्युत परियोजनाएं जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत आदि जनपदों में हैं, उनमें विद्युत उत्पादन हो रहा है और जो गंगोत्री परियोजना है, वह विद्युत उत्पादन की स्थिति में है, अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं। मान्यवर, तिलवाड़ा जल विद्युत परियोजना जो 200 किलोवाट की है, इसके पुनरोद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अक्टूबर, 2002 तक इस परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने यह कहा कि योजना पर कार्य शुरू हो गया है, मैं स्वयं उसी क्षेत्र से आ रहा हूं, मैं उस योजना को देखकर आ रहा हूं, आप इस योजना को चालू कर रहे हैं, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस महीने के तीसरे सप्ताह में गंगोत्री में भीषण बर्फ पड़ी, यह बर्फ लगभग 18 फीट तक पड़ी। अत्यधिक बर्फ के कारण ग्लेशियर टूट कर आये हैं, एक ग्लेशियर लगभग 40 फीट का टूटा है, जिसके कारण करीब 48 घण्टे तक भागीरथी नदी का प्रवाह रुका और जब यह खुला तो काफी मात्रा में तबाही हुई। इस घटना से साधनारत स्वामी योगानन्द की दम घुटने से मृत्यु हो गयी तथा कई पर्यटन भवन इस घटना से क्षतिग्रस्त हुए हैं, इस क्षेत्र में बिजली, पेयजल की आपूर्ति ठप्प हुई, गंगोत्री मंदिर को इससे काफी क्षति होने की आशंका है, कई वन्य जीव इस घटना से मृत पाये गये। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय और तत्काल प्रभाव से वहां आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 2 मार्च, 2002 को यमुनोत्री मंदिर के समीप तथा दिनांक 15–16 मार्च, 2002 को गंगोत्री के नजदीक डबरानी से सुक्खी के बीच ग्लेशियर आने से इन स्थानों पर क्षति हुई। यमुनोत्री मंदिर की छत की तीन बल्लियां टूटकर झुक गयी है। यमुनोत्री मंदिर के समीप कपड़े बदलने के स्थान की छत क्षतिग्रस्त हुई है। मंदिर समिति का जनरेटर बर्फ से दबा हुआ है। यमुनोत्री पण्डा समिति का रसोई घर पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मुखार बिन्दु पूजा स्थल की टीन की छत एवं लोहे के एंगिल झुक गये हैं। यमुनोत्री जाने वाले रास्ते पर जगह–जगह पेड़ व पत्थर गिरे हुए हैं। गंगोत्री के समीप ग्लेशियर आने से तीन व्यक्तियों के सेब के बगीचे में लगभग 250 सेब के पेड़ तथा ग्राम जसपुर में 80 सेब के पेड़ व तीन होटल तथा एक छान भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग पर झाला से हर्षिल के बीच दो ग्लेशियर आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री धाम में भी ग्लेशियर आने की सूचना प्राप्त हुई है। क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। वर्ष 2001–2002 में दैविक आपदा राहत कार्य हेतु जिला अधिकारी, उत्तरकाशी को रु0 1,45,24,000/– की धनराशि आपदा राहत कोष से उपलब्ध करायी गयी है तथा दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों में निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता वितरण हेतु निर्देशित किया गया है। उनको यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि उन्हें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो तत्काल मांग प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, स्वामी योगानन्द जी जिन्होंने हिम समाधि ग्रहण कर ली, उन्हें हम सदन की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। इसका एक ओर हमें मार्मिक दुःख है। क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि साधना के साधक इस प्रकार की गुफाओं में कोई कानून लागू न हो सके और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को आहुति में लगा दें, यह सोचने की बात है। केदारनाथ, बद्रीनाथ विश्वविख्यात धाम है, उनकी एक समिति भी है, अधिनियम भी है, जहां तक मुझे ज्ञात है। गंगोत्री, यमुनोत्री में कोई प्रबन्धन की सुविधा नहीं है, यह सोचने की बात है। हमारे जो गंगोत्री, यमुनोत्री धाम हैं, मान्यवर, इसका स्वरूप क्या हो ? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी और स्थानीय अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, या वहां के जो धर्म गुरू हैं, उनका भी इसमें योगदान होना चाहिए। इस सम्बन्ध में वह स्वयं निर्णय ले सकें। कुछ समय पहले जब उत्तरकाशी में अत्यन्त ही विनाशकारी भूकम्प आया था उस अवसर पर केन्द्र और वहां के प्रान्त के लोगों ने विचार किया, वहां के मकान किस तरह के होने चाहिए यह रुड़की विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ तय करें कि वहां किस तरह की वास्तुकला होनी चाहिए व जहां बड़े–बड़े हिमखण्ड तथा पहाड़ गिरते हों, उन्हें नुकसान से कैसे बचाया जाय। हमें बस्तियों की जगह को बदलना होगा। बद्रीनाथ मंदिर के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि उसे भी खतरा है किन्तु हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसे हम इधर–उधर नहीं कर सकते। मंदिर जिनकी सम्पत्ति है, उनको यह अधिकार है कि वह वास्तुकला को मानने के लिए तैयार है या नहीं, इस सम्बन्ध में सलाहकार समिति की आवश्यकता होगी। मैं आग्रह करूंगा कि वह आने वाले एक महीने के अंदर कृपया शासन को अपने सुझाव भेजें। एक तरफ धार्मिकता का प्रश्न तो दूसरी तरफ जीवन सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं तथा भू–गर्भ शास्त्रियों का आभारी हूं जिन्हें हिमालयन पर्यावरण की जानकारी है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र अपना सुझाव भेजें ताकि हम उनसे विचार–विमर्श कर सकें तभी इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। जो दल विशेष का निर्णय नहीं है, हमारी सरकार का निर्णय नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को बड़ी गम्भीरता से लिया। एक बात और जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई टीम इसके लिए भेजी है जो इसका आंकलन कर सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, समाचार पत्रों में आज ही मुझे जानकारी मिली है। कुछ दिन पहले की घटना आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे तुरन्त ही जानकारी मिले, चाहे वह इंटरनेट से प्राप्त हो या हवाई मार्ग से। संचार व्यवस्था को पुष्ट किया जायेगा। सुदूर दुर्गम स्थानों पर संचार की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। सूचना व्यवस्था को सुदृढ करने की आवश्यकता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन की बातों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, क्योंकि भविष्य के लिए क्या योजना हो सकती है, यह उनके विचार हैं, इसके बाद तो कोई प्रश्न

ही नहीं बचता है। मान्यवर, इस प्रकार की आपदाओं में एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर होता है। इसलिए जब भी इस प्रकार की आपदायें होती हैं तो वहां तुरन्त सरकार का प्रतिनिधि या किसी मंत्री को वहां पर जाकर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए शासन की ओर से एक्शन लिया जाना चाहिए। मान्यवर, पिछली सरकार ने आपदा प्रबन्धन मंत्रालय बनाया था और जिला मजिस्ट्रेट को यह भी कहा था कि यदि कुछ जरूरत पड़ती है तो तत्काल शासन को कहें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शासन का कोई न कोई प्रतिनिधि उनके बीच में जाना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, हम तो उसका परिपालन उनकी मनोकामना जानने से पहले से ही प्रयास करते रहे। मान्यवर, जब बद्रीनाथ में ग्लेशियर आया तो हमारे पास ऐसे हेलीकाप्टर नहीं थे जो इतनी ऊंचाई पर जा पाते। तो इसके लिए मैंने डिफेन्स मिनिस्टर श्री जार्ज फर्नांडीज जी से उसी दिन आग्रह किया था, क्योंकि डिफेन्स के लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। आज भी टेलीफोन मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे मिल नहीं सके। हमारे जो हेलीकाप्टर हैं, वे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। उनको जबर्दस्ती अधिक ऊंचाई पर ले जाना भी ठीक नहीं है। यमुनोत्री क्षेत्र का पूरा पर्यवेक्षण कर लें नहीं तो टीम तो वहां जायेगी ही। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को एक करोड़ 45 लाख रुपये की जो धनराशि उपलब्ध करायी गई है, मैं मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि कितनी राहत पहुंचाई गई है, यह जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तरांचल की चीनी मिलों की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तरांचल में जितनी चीनी मिलें हैं, वे बहुत ही भयानक आर्थिक स्थिति से गुजर रही हैं। जब यह नया राज्य बना तो यहां के जो उद्योगपति और किसान थे उन्हें लगा कि हम लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जायेंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इन चीनी मिलों से सम्बन्धित जो किसान हैं, उनका लगभग 50 करोड़ रुपया अभी भुगतान को बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो लाख सत्तासी हजार बोरी जो वहां के गोदामों में डम्प पड़ी हैं और अधिकतर तो जो चीनी बोरी डम्प हैं, वह चीनी खराब होने की दशा में है। माननीय अध्यक्ष जी, इस लोक महत्व के विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–सितारगंज चीनी मिल की ओर। यहां पर किसानों का उस चीनी मिल पर करीब 9 करोड़ रुपया बाकी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सितारगंज चीनी मिल की तरफ, यह 3 करोड़ रुपया वार्षिक ब्याज दे रही है और ऐसी ही बहुत ज्यादा खराब स्थिति उत्तरांचल राज्य की जितनी चीनी मिलें हैं, उनकी भी है। तो सभी चीनी मिलों को लगाकर हम करीब 23 करोड़ रुपया ब्याज में देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितनी चीनी मिलें लगी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उसके प्रतिस्थापन में सबसे बड़ा हाथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से इस पद पर सुशोभित हुए हैं, मुझे भी उम्मीद है कि इन चीनी मिलों में सुधार होगा। (मोबाइल की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मोबाइल ऑफ करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारा ऊधमसिंह नगर या हरिद्वार जिला, देहरादून में भी चीनी मिल हैं तथा मैदानी इलाकों में भी चीनी मिलें हैं और अगर चीनी मिल आर्थिक घाटे में रहेगी तो वहां का किसान समृद्ध और सम्पन्न नहीं हो सकता। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर विचार करके चीनी मिल को घाटे से उबारकर किसान को समृद्ध एवं सम्पन्न बनाने का प्रयास करें। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय चीनी मिलों के लिए अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान में हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरे मंत्रिमण्डल के साथ सकारात्मक रूप से भाग लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां पर रखा है, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, गन्ना मूल्य की दर में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि तथा चीनी के मूल्य में समानुपातिक वृद्धि न होने के कारण चीनी मिलों को घाटे की स्थिति सें गुजरना पड़ रहा है किन्तु यह स्थिति उत्तरांचल राज्य में स्थित चीनी मिलों के लिए ही अपवादस्वरूप नहीं है। विगत वर्षों में 5 रुपया प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य में वृद्धि कर दिये जाने के फलस्वरूप समस्त चीनी मिलों पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का उत्पादन अधिक हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा चीनी बिक्री का कोटा भी अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भारत सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल में स्थित समस्त 10 चीनी मिलों के पास दिनांक 15–3–2002 की स्थिति अनुसार 40.50 लाख कुन्तल से अधिक का चीनी का स्टॉक है जिसकी अनुमानित कीमत 5.25 करोड़ रुपये से अधिक है। स्टॉक का सामयिक निस्तारण न होने से जहां एक ओर ब्याज के रूप में चीनी मिलों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, वहीं चीनी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। दिनांक 15–3–2002 की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों पर कुल 36908.09 लाख रुपया, गन्ना मूल्य देय हुआ, जिसमें से 26753.80 लाख रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया गया।

10154.29 लाख रुपया अवशेष गन्ना मूल्य जो कि लगभग 27 प्रतिशत है, का भुगतान कराने हेतु सरकार पूर्णतया गम्भीर तथा संवेदनशील है और इस संबंध में भारत सरकार से चीनी की बिक्री का कोटा बढाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विगत सत्र में भी 15–3–2001 तक 7287.00 लाख रुपया (21 प्रतिशत) गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष था। ऐसी कोई असामान्य स्थिति नही है, जिसके कारण गन्ना किसानों, मिलों में कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरों को अपने भविष्य को लेकर आशंका उत्पन्न हो।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सभी सूचनाओं को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

* श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने खदान और चुगान के एकाधिकार को समाप्त करते हुए उसे माफियाओं से मुक्त कराने का जो संकल्प किया है, वह स्वागत योग्य है। मुझे याद है पिछली सरकार के कार्यकाल में वन मंत्री रहे हमारे माननीय मित्र श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने चुगान और खदान को माफियाओं के एकाधिकार से मुक्त कराने का प्रयास किया था। किन्तु अपने ही दल के सदस्यों का सहयोग न मिलने के कारण वह इसमें सफल नहीं हो पाये। प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों द्वारा बार–बार यह कहा जा रहा है कि कानून एवं व्यवस्था के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नं0 63 में कानून व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जबकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि कानून व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, राज्य में विधि व्यवस्था और सभी के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा। मान्यवर, मुझे याद है कि सुश्री किरन बेदी की जहां पोस्टिंग कर दी जाती है, वहां के अपराधी स्वयं ही भूमिगत हो जाते हैं। यही हाल हमारी सरकार का है। जैसे ही अपराधियों को पता चला कि हमारी सरकार बनने जा रही है, वे पहले ही भूमिगत हो गये। मान्यवर, भाजपा के दो माह के शासनकाल के मैं आंकड़े दे रहा हूं, जो सरकारी आंकडे हैं। आपके दो माह के शासनकाल में 2 डकैती, 2 लूट, 49 हत्या, 32 बलवे, 44 वाहन चोरी, 4 बलात्कार की घटनायें हुई है।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, ये कहां के आंकड़े हैं ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। मान्यवर, सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हमारे उत्तरांचल में बहुत बड़ी संख्या में हैं । अभी भी अनेकों सैनिक देश की रक्षा में लगे हुए हैं। सैनिक कल्याण परिषद् के गठन की बात कही गयी है। हमारी सरकार उनके उत्थान की मंशा रखती है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने इस राज्य में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की घोषणा की है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, खेलकूद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उत्तरांचल ने तमाम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिये हैं। मान्यवर, शिक्षा के साथ खेलकूद को जोड़ने की बात कही गई है, इसका लाभ मिलेगा। जो हमारी सी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 धारक व्यक्ति हैं, उनके साथ अब तक जो अन्याय किया जाता है, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार की जो नीति है, उससे उन्हें रोजगार मिलेगा। अल्पसंख्यक आयोग के गठन के साथ ही वक्फ बोर्ड तथा हज कमेटी के गठन का जो निर्णय लिया गया है, उससे अल्पसंख्यकों का मनोबल बढ़ेगा और वे मुख्य धारा में आ सकेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उत्तरांचल में जिस तरह से अभी माननीय नेता सदन ने बताया कि तमाम आपत्तियां यहां पर आती रहती हैं, निःसंदेह आपत्तियों के प्रति हमारी सरकार की जो चिंता है, उस चिंता को प्रकट करता हूं। निःसंदेह आपत्तियों से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। तीर्थाटन को हमारी सरकार एक उद्योग के रूप में बढ़ावा देगी। हमारी सरकार की नीति से मुझे विश्वास है कि हम ऐसा करने में सफल होंगे। नरेन्द्र नगर, टिहरी जिले की सौंदर्यता को बढ़ाता है, सम्भवतः यहां उत्तरांचल का सबसे बड़ा होटल है, आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस होटल में मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा करेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पिछली सरकार ने वहां योजना बना रखी थी।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में हमारी सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता को पर्याप्त सम्मान देने की बात कही है, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार ने उत्तरांचल के चहुँमुखी विकास की संकल्पना व्यक्त की है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा, उस पर मैं बल देता हूं।

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में जो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड करने की है, इस सम्बन्ध में एक कहावत है–(एक सेठ का नाम लुग्थी था, किसी ने उसे नाम बदलने को कहा फिर सेठ बोला पहले मैं भ्रमण करता हूं, जो सबसे अच्छा नाम होगा वही रख लूंगा। सेठ भ्रमण पर निकला। सबसे पहले सेठ ने एक मृत व्यक्ति को देखा, उसका नाम अमर था, फिर सेठ ने एक महिला को देखा जो पानी भर रही है, सेठ जी ने कहा आपका नाम क्या है उसने कहा लक्ष्मी, फिर आगे बढे एक व्यक्ति दूब खोद रहा था, सेठ जी ने उससे कहा, आपका नाम क्या है, उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम धनपत है, फिर सेठ ने गांववासियों को कहा मेरा नाम लुग्तिखूद है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल ही ठीक है।

* दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नाम के पीछे लम्बी चौड़ी कहानी सुनाकर सदन का वक्त जाया किया। मेरा अनुरोध है, नाम के पीछे विशेष चर्चा न चलायी जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं रचनात्मक सुझाव सदन में रखता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल में 3 जनपद बने–रुद्रप्रयाग, चम्पावत और बागेश्वर लेकिन अधिकारियों के पद सृजित नहीं हुए। मैं चाहता हूं कि इन जनपदों में अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाय। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण सुना और पढा, उसमें उत्तर प्रदेश से परिसम्पत्तियों के बंटवारे का हल शान्तिपूर्ण ढंग से निकाले जाने की बात कही गयी है। मान्यवर, जब तक हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आक्रामक तेवर बंटवारे के संबंध में नहीं रखेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मान्यवर, एक और सुझाव है कि जो निगम घाटे में चल रहे हैं जैसे हिलट्रान, 16 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष घाटे में चल रहा है। तो ऐसे निगमों को बन्द कर दिया जाये और वहां के कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित कर दिया जाय। उत्तरांचल कृषि प्रधान क्षेत्र है, फिर भी यहां के लोग रोजगार के लिए देश और विदेश जाते हैं। मेरा सुझाव है कि कृषि, उद्यान और पशुपालन इन तीनों को उद्योग के रूप में दर्जा दिया जाय तो अच्छा होगा, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिल जायेगा। आज उत्तरांचल की सबसे बड़ी चिन्ता रोजगार की है कि रोजगार हम कैसे दें। इसमें उद्योग चीज का उल्लेख नहीं है। उत्तरांचल में व्यवसायिक खेती पर बल देने की जरूरत है जिससे हमें लाभ मिलेगा। हमारे उत्तरांचल में पानी है, पानी बेकार न जाये इसके लिए मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जाय। मान्यवर, जल निगम और जल संस्थान दो विभाग हैं, इनमें भी कई अव्यवस्थायें हैं, तीसरा बीच में आ गया स्वजल योजना। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तरांचल में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, जहां पर गम्भीर पेयजल संकट है। जैसे बेरीनाग, मानिला, गंगोलीहाट आदि जगहों पर काफी पेयजल संकट है, ऐसे स्थानों पर जनहित में पेयजल उपलब्ध किया जाये।

मान्यवर, अच्छा होगा कि जनहित में विकल्पधारी शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाय ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। हम बहुत सारी बातें, क्षेत्र के बारे में करते हैं। हम इस सदन में बैठे हुए है और महसूस करते हैं कि सचिवालय में पत्रावलियां दबी पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता कि जो पत्रावलियां सचिवालय में दबी पड़ी हैं, उन पर त्वरित गति से कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें हमारा हित होगा, क्षेत्र के लोगों का हित होगा।

मान्यवर, झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले, खेत–खलिहानों में काम करने वाले किसानों, महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात, कोई घोषणा नहीं की गई। अगर उनके बारे में कार्यवाही की जाती तो अच्छा होता, उत्तरांचल का हित होता। उत्तरांचल के विशेषज्ञों की एक टीम बनानी चाहिए, जो यहां के उत्थान के बारे में, यहां के रोजगार के बारे में तथा यहां की कृषि के बारे में रिपोर्ट दें और इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के बारे में काम करे। मेरा सुझाव है कि बेमौसमी फलों के उत्पादन के बारे में तथा मछली पालन के बारे में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में, हम कार्य कर सकें।

एक महत्वपूर्ण विषय जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं दिखा, वह है विपणन की व्यवस्था। जब तक हम विपणन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें स्वरोजगारपरक शिक्षा के बारे में काम करना चाहिए। आपकी लाल बत्ती जल गई है। मैं बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हूं। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि हमारे नेता श्री नारायण दत्त तिवारी इस सदन के सदस्य है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि हमारे अध्यक्ष दो बार खटीमा विधान सभा के सदस्य रहे, वह आज यहां पर अध्यक्ष के पद पर आसीन है।

मुझे प्रेरणा मिली है श्री नारायण दत्त तिवारी जी से तथा दोनों अन्य सदस्य जो यहां पर बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं उत्तरांचल में सर्वाधिक मतों से जीतकर आया हूं। मान्यवर, आज उत्तराखण्ड के नाम की बहुत चर्चा हो रही है। हमने उत्तराखण्ड के लिए बहुत संघर्ष किया! मैंने 20 साल तक सरकार के खिलाफ केस लड़े, मगर आज सौभाग्य है कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में पैरवी कर रहा हूं। जिस उत्तराखण्ड के लिए इतना संघर्ष किया गया, कई आन्दोलनों का नेतृत्व मेरे द्वारा स्वयं किया गया। 01 दिसम्बर, 1994 को खटीमा में जो काण्ड हुआ, उत्तराखण्ड के नाम पर, उसका नेतृत्व मैंने किया था। मुझे पकड़ने के लिए पुलिस लगाई गई। मेरे कुछ साथियों ने मुझे नेपाल पहुंचा दिया, मैं वहां 40 दिन रहा। माननीय सदस्य कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। मान्यवर, मेरा नाम गोपाल है, अगर मेरा नाम भैंसपाल रख दिया जाय तो कैसा लगेगा। नाम में बहुत कुछ रखा है। उत्तराखण्ड नाम बहुत अच्छा लग रहा था, अचानक उसका नाम बदलकर उत्तरांचल कर दिया गया।

मान्यवर, जो मैंने अपने क्षेत्र में वायदे किये थे, विकास के लिए उसकी ओर हमारी सरकार ने ध्यान दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कल्याण के लिए जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को। मान्यवर, शिक्षक, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने और कृषि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कृषक मित्र परिषद् का जो गठन किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। गन्ना खरीद में जो नीतियां तय की हैं मैं उनका आभारी हूं। पर्यटन के मामले में जो प्रस्ताव किया कि टनकपुर से देहरादून तक रेल चलाई जाये, मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कुछ अहम समस्या है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, खटीमा तहसील में 1986 से उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी के आदेश किये हैं और 16 वर्ष हो गये हैं चकबंदी जैसी की तैसी पड़ी हुई है और जो मृतक खातेदार हैं उनके वारिसों के नाम मूल कागजातों में दर्ज नहीं हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो मूल कागजात हैं वह तहसील में वापस कर दिये जायें जिससे कि नाम दर्ज हो सकें। मान्यवर, खटीमा में जो मुन्सिफ कोर्ट है उसका गठन 1986 में हुआ है। मान्यवर, वह एक छोटे से भवन में चल रहा है। चूंकि विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हेतु भूमि मिल जाये तो अच्छा होगा। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से वहां पर गेहूं खरीदने की अच्छी व्यवस्था की जाय। 01 दिसम्बर, 1994 को जो खटीमा काण्ड हुआ और जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में दी गई व्यवस्था है कि शहीदों के नाम से स्मृति बनायी जाय तो मेरा आग्रह है कि खटीमा को उन शहीदों के नाम से जिला बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, जनजाति युवकों के तमाम पद सरकारी नौकरियों में रिक्त पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरा आग्रह है कि जनजातियों के लिए रिक्त पड़े पदों को विशेष भर्ती द्वारा भरा जाय। मान्यवर, किच्छा से खटीमा तक प्राइवेट बसों की व्यवस्था है। मेरा आग्रह

है कि मान्यवर, किच्छा को जो बसें आती हैं, उनको रूद्रपुर तक चलाया जाय ताकि वकीलों और मुवक्किलों को आने जाने में परेशानी न हो। मान्यवर, हमारे यहां की तीन नदियां परवीन, दोहा, कामनि अभिशाप बनी हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन कट रही है, मेरा आग्रह है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाय जो कि इस कटान को रोके। मान्यवर, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया गया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, प्रथम निर्वाचित सदन में, प्रथम निर्वाचित सदस्य को, प्रथम बार बोलने का आपने अवसर दिया, इसका मैं हृदय से आभारी हूं। मेरे को बहुत जल्दी में अपनी बात कहनी पड़ेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, एक बात मैं सदन से कहना चाहता हूं कि–

"एक जिक्र खुदा ही से तो कुछ बात नहीं बनती।
लाजिम है दिलों में भी कुछ खौफे खुदा रखना।।"

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के पक्ष में बोलते हुए मैं सदन में बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। यहां प्रश्न नाम को बदलने का आया है, मैं इसके विरोध में अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा कि हमारे इसके पक्ष के साथियों ने कहा कि नाम का अपना महत्व होता है, मैं इसे मानता हूं, लेकिन नाम का महत्व तब होता है यदि किसी ज्योतिषाचार्य ने कुछ बताया हो कि इसकी राशि के नाम पर इसका विकास हो सकता है। मान्यवर, यदि किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया हो तो विकास हो सकता है। तो शायद उसके समर्थन में हम भी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अगर किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा हो कि यदि नाम राशि के आधार पर रखें तो (व्यवधान)

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, आंचल का मतलब तो है, मां का आंचल लेकिन खण्ड शब्द से ऐसा लगता है, जैसे किसी चीज का खण्ड कर दिया गया हो। मान्यवर, शिक्षा के विषय में ऐसी कोई नीति का जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था, जिससे यह लगता है कि शिक्षा की दिशा में कोई सुधार करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। हमारी शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, वह राष्ट्र भक्ति से ओत–प्रोत होनी चाहिए, हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चों के बस्तों का बोझ हल्का हो सके। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी ही नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा स्वरोजगारपरक होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां जो शिक्षा नीति अंग्रेजों के समय में बनी थी, वही चली आ रही है। मुझे आशा है कि सरकार इस नीति में सुधार करने का काम अवश्यक करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी

से मैं कई बार पूर्व में भी मिल चुका हूं, आपकी प्रवृत्ति सबको साथ लेकर चलने की है, चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों। उद्योगों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस तरह का रुझान है, उसे देखते हुए मैं आशा करता था कि हमारी सरकार ऐसी उद्योग नीति अवश्य बनायेगी, जिससे उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हों। लेक़िन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, रुड़की में सीवरेज प्लान्ट का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था, जो अभी तक लम्बित है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे पास कराने का प्रयास किया जाय।

मान्यवर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन मेरा हिसाब–किताब गड़बड़ हो गया है। मैं सोचता हूं कि क्या कहूं, क्या न कहूं। मान्यवर, आज प्रथम दिन है, मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करता हूं। धन्यवाद।

* श्री विजयपाल सजवाण–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि हमारे नेता सदन, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी अपने स्वागत समारोह एवं अभिनन्दन समारोहों में न जाकर रात–दिन प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में लगे हैं। मान्यवर, सदन में राज्य के नाम को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। हमारे प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। मान्यवर, मैं यमुनोत्री का रहने वाला हूं। मान्यवर, इस राज्य का नाम उत्तरांचल के बजाय उत्तराखण्ड किये जाने के प्रस्ताव का, जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं अभिभाषण के पैरा 1 से 72 का समर्थन करता हूं। समय बहुत कम है। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे कुछ सुझावों को इसमें शामिल कर दिया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अक्सर बाढ़ एवं भूकम्प आया करते हैं। पूरा क्षेत्र दैवीय आपदा की चपेट में रहता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। मेरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक रमणीक स्थान है। यहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है, पर्यटन निदेशालय उत्तरकाशी में खोला जाय। मनेरी भाली परियोजना को हमारी सरकार ने प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मान्यवर, उत्तरकाशी में गंगोत्री ऐसा स्थान है जहां देश–विदेश के पर्यटक आते रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक बस स्टेशन की व्यवस्था कराई जाये।

मान्यवर, भटवाड़ी, नौगांव जनजाति से लगा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को भी जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण जारी रहेगा, अब हम उठते हैं, तीन बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदन की कार्यवाही 3.00 बजे अपरान्ह श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस सदन का नेता सदन होने के नाते प्रथम चुनी हुई उत्तरांचल विधान सभा के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए..........

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जब हम भोजनावकाश के लिए उठ रहे थे तो उस समय चर्चा जारी थी।

श्री विजयपाल सजवाण–

मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आपका और सदन का आभारी हूं। श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय श्री गोदियाल जी ने इसका समर्थन करते हुए, जो संक्षिप्त में विचार व्यक्त किये, मैं समझता हूं कि सदन की श्री राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता एक सही उल्लेख रहा। तत्पश्चात् माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस और सम्मानित सदस्यों ने अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में भाषण दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस पर नई विधान सभा में प्रथम बार वाद–विवाद में भाग लिया, मैं रोमांचित हुआ इस तथ्य को देखकर कि जो हमारी प्रथम विधान सभा में पहली बार चुनकर आये, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के उन्होंने जो मर्यादायें और उच्च स्तर यहां पर दिखाया, मैं भविष्य के लिए आश्वस्त हूं, जिस स्तर का भाषण हुआ मैं समझता हूं कि इससे उत्तराखण्ड की जनता आश्वस्त हो सकती है और उभरते हुए युवा नेतृत्व के माध्यम से उत्तरांचल का समग्र विकास होगा आने वाले समय में मुझे ऐसा भरोसा है। मैं तो 20वीं शदी का कार्यकर्ता हूं, जैसा श्रीमन् आपने भी संकेत दिया था। कई कांग्रेस सदस्यों ने मेरे लिए कृतज्ञता और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग किया मैं उन सबका आभारी हूं, आखिर सेवा करने का एक अवसर मुझे मिला। मुझे भगवान की कृपा से देव भूमि की सेवा करने का अवसर मिला। हमारे युवा साथी श्री निजामुद्दीन ने जो कहा कि करोड़पति से लखपति बन गये, मैं उनको समझता हूं। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, उसका आदर भी करता हूं। लेकिन जो महान दायित्व मुझ सेवक को मिला, सम्मानित सहयोगियों ने और इस सदन के लोगों ने जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसे किसी भी मायने में छोटा नहीं समझता। मैं इस मानव विज्ञान को लेकर इस सदन की सेवा नहीं कर सकता। अगर मैं इस भाव से यहां आया हूं कि मैं कोई ऐसी जगह आ गया हूं जिसके लिए मैं बनाया नहीं गया। अगर सारे संसार का इतिहास हम देखें, प्रजातांत्रिक परिपाटियों के विकास का इतिहास देखें तो छोटे राज्यों में या छोटे देशों में, वह सारी समस्याएं विद्यमान होती हैं। बजट बड़ा नहीं होता, लेकिन विद्युत की समस्या किस प्रदेश में नहीं है। हमारे देश में, संसार के किस देश में नहीं है। आज जिन लक्ष्यों को हम यहां घोषित कर रहे हैं, जिन पर बातचीत कर रहे हैं किस

प्रदेश में और किस देश में ऐसे प्रश्न नहीं हैं। वैश्वीकरण के युग में भी वही मौलिक प्रश्न है। संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी आज सबसे ज्यादा कर्ज है वहां की जनता का। सबसे ज्यादा कर्जदार अमेरिका है। आज यूरोप के छोटे-छोटे देश में कामन मार्केट के जरिए, मिलजुल कर अपने भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। वह भी आज सहकारिता की भावना से छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में परिवर्तित करके आज यूरोप की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। छोटे-बड़े देश मिलकर के आज विकास के समग्र आधार को देख रहे हैं। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं, वह इसलिए कर रहा हूं कि हम देखें आज विश्व किस ओर जा रहा है उससे हम उत्तरांचल के विकास के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को तथा प्रत्येक माननीय सदस्य को इसका अध्ययन करना चाहिए। आज विश्व में पिछड़ेपन के कारण क्या है। जिन देशों ने राष्ट्रीयता के नाम पर हिटलर जैसे देश का वर्णन किया, जो समझते थे कि विश्व में जर्मन कौम सबसे अच्छी कौम है उन्होंने भी जर्मन करेंसी को भुलाकर यूरोप की करेंसी को स्वीकार कर लिया। फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट के देश ने यूरोप की करेंसी को स्वीकार कर लिया।

मान्यवर, इसलिए डालर का मुकाबला कर सके, लड़ाई से नहीं, मित्रता से मुकाबला किया है। डालर को मजबूत करने के लिए उन्होंने यूरो करेंसी को ग्रहण किया। हमें अपने देश में उत्तरांचल राज्य को भारत का एक ऐसा राज्य बनाना है, जो भारत के संविधान के राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, उन राष्ट्रीय उद्देश्यों के पूरक हों। हमारे प्रदेश में 75 लाख जनता है, इस प्रदेश में तराई और भांवर का विशाल आंगन है, तीर्थ स्थल के क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों का अध्ययन करके हम अलग-अलग हिस्सों के समग्र विकास के लिए क्या कर सकते हैं। मान्यवर, यह देहरादून जैसा अन्तर्राष्ट्रीय नगर जिसमें 250 उच्च शिक्षा के केन्द्र हैं, माध्यमिक शिक्षा का केन्द्र है, यह हमको मिला है। इस कौमी गुलदस्ते को सजा कर रखना है। आज हमारे रणबाकुरों ने इतिहास लिखा है। इन सबकी ओर ध्यान करके विकास की चेष्टा करनी है।

मैं आभारी हूं नेता विरोधी दल, श्री मालचन्द, श्री हरबंस,कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्रशेखर, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री गोविन्द लाल भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री गोविंद लाल शाह, श्री अजय भट्ट, श्री कैलाश शर्मा, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल जी का इनके द्वारा जो अभिभाषण प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका आदर करता हूं कि इन्होंने संशोधन प्रस्तुत करने में धन्यवाद देने में आपत्ति नहीं की है।

इनके शासन के अनुभव ने जो हमें लाभान्वित करने का प्रयास किया, मैं उसके लिए आभारी हूं। साथ ही माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव में भी यही भावना निहित है। मैं श्री ऐरी जी को छात्र जीवन से भली प्रकार जानता हूं। जब वे कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उस समय से उनके जो कार्य करने की शैली है, वह अलग रही है और उन्होंने, उनके दल ने जिस अनोखे ढंग से अपनी योग्यता से उत्तराखण्ड आन्दोलन, राज्य आन्दोलन को चलाया, मैं उनके सब संयमों का आभारी हूं, और उनके दल ने जो योगदान दिया है उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं, और इसी तरह श्री मातबर सिंह कण्डारी

जी ने, वह तो है ही मातबर। वे हमारे पुराने साथी हैं, विचारों से भले ही न हों, भावनाओं और योजनाओं के साथी तो हैं ही। श्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा भी इसी प्रकार अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं। पिथौरागढ़ जिले की योजनाओं को मैं समझता हूं कि जब कभी अन्तिम रूप दिया जायेगा तो उनके सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा। हमारे माननीय भाई, जिन्हें कि मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं-माननीय श्री नारायण पाल जी को। उन्होंने जो भावनाएं यहां व्यक्त कीं, उनका भी मैं आदर करता हूं। मुझे विश्वास है कि दलित और पिछड़े वर्ग ही नहीं, अपितु जिन से प्रदेश का पिछड़ापन परिलक्षित होता है उन्हें दूर करने में भी उनका सहयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार श्री हरभजन सिंह चीमा, विधान सभा सदस्य, काशीपुर जिन्होंने उद्योगों से लेकर और कई किसानों के प्रश्नों को, बन्द सूत मिलों के प्रश्नों को, उद्योग के विकास से सम्बन्धित प्रश्न प्रस्तुत किये, उनका भी सहयोगी होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और जब से तराई का निर्माण हुआ, उस समय सेवा करने में जो मुझे सौभाग्य मिला और जिस दिन से उन्होंने तराई में प्रवेश किया उस दिन से चीमा जी का व्यक्तिगत सौहार्द हमें प्राप्त हुआ। इसे मैं अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी मानता हूं। माननीय श्री अजय भट्ट जी ने भी अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में और दूसरे पिथौरागढ़, गंगोली हाट और दूसरे अन्य तमाम क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं, मैं उनका आभारी हूं। श्री मदन कौशिक जी ने हरिद्वार जैसे नगर की समस्याओं पर संशोधन प्रस्तुत किया है, बहुत कुछ करना है हमें हरिद्वार के लिए अभी और हम सबको मिलकर हरिद्वार की जनता के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। चौधरी यशवीर सिंह जी एवं श्री काजी निजामुद्दीन जैसे और दूसरे सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं उनके जरिये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उत्तरांचल के अन्दर हरिद्वार के रहते हुए हरिद्वार को उत्तरांचल के बराबर की पंक्ति में और उससे अधिक लाने का प्रयास करूंगा क्योंकि खुद हरिद्वार का इतना बड़ा महत्व है। उसके विकास में कोई कमी नहीं रखी जायेगी जिसका उल्लेख हमने राज्यपाल के अभिभाषण में किया है, जो नीति की कमी है, वह उत्तरांचल के देहाती क्षेत्रों में आज सबसे अधिक है और उसे दूर करने का प्रयास हरिद्वार में 3 माह के अन्दर करेंगे। ये महीने हमने इसलिए रखे हैं, ठीक है एक-एक दिन गिनना। पहले मुझे भी आदत थी एक-एक दिन गिनने की, एक-एक सेकेण्ड गिनने की, फिर मैंने देखा कि दिन को जोड़ने से पहले मंशा देखनी चाहिए।

"कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन्"

कुछ कर्म करो उसका फल मिलेगा। इसलिए केवल मैं अपनी भावना शासन की ओर से व्यक्त कर रहा हूं और हरिद्वार के किसी भी किसान, कोई भी, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी इलाके का हो, उत्तराखण्ड आन्दोलन में, उत्तरांचल राज्य में वह आया है, ठीक है, लेकिन जिनकी मर्जी थी या नहीं थी उनको 5 साल के अन्दर यह मालूम होगा कि हमें उत्तराखण्ड में शामिल होकर हमें बराबर का अधिकार मिला है। उनकी शिकायतें दूर होंगी। मुझे विश्वास है और हम अपने को इस योग्य बनायेंगे। इसी तरह अब अर्धकुम्भ की बात मदन कौशिक जी ने कही थी और अन्य लोगों ने भी की।

मान्यवर, हमें आज अवसर मिला है कि हम ऐसे निर्माण कार्य करें, ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करें, जिससे दीर्घकालीन लाभ सारे क्षेत्र को मिले। इस काम में हम प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के अतिरिक्त संत समाज का भी सहयोग लेंगे। मुझे दो कुम्भों में सेवा का अवसर मिल चुका है, पहली बार 1976-77 में और दूसरी बार 1988-89 में। क्या

कारण है कि जो निर्माण कार्य वहां पर किये जाते हैं, उनमें गुणवत्ता नहीं आ पाती है, इसके लिए कहीं न कहीं हम दोषी हैं। हमारा जोर इस बात पर होगा कि वहां के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता हो। हम इस बात पर जोर देंगे कि उत्तरांचल में गुणवत्ता के आधार पर कार्य हों। इसके लिए हमारे अधिकारी और कर्मचारी यह न सोचें कि हमारे खिलाफ कोई जांच हो रही है। हम उन लोगों को उत्प्रेरित करने की भावना से यह सब करेंगे। इससे हमे लाभ मिलेगा।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रारम्भ में इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड रखने की बात कही गई है, उसमें लिखा गया है कि इसके लिए हम एक प्रस्ताव लायेंगे। इससे अगर हमारे माननीय नेता विरोधी दल को कोई कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य के लिए जो आन्दोलन चलाया गया था, वह उत्तराखण्ड के नाम से ही चला था। हमने जब खटीमा में इस राज्य के लिए आन्दोलन का समर्थन किया, तब तक 11 लोग शहीद हो चुके थे। माननीय काशी सिंह ऐरी जी भी वहां मौजूद थे। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वहां गया था। उन शहीदों का नाम उत्तराखण्ड के शहीदों के रूप में दर्ज किया गया। आन्दोलन में उत्तराखण्ड नाम को ही मान्यता दी गयी, इसलिए चुनावी घोषणा–पत्र में भी यह रखा गया कि हम उत्तराखण्ड नाम रखेंगे। अब यदि चुनावों के बाद हम जनता की भावनाओं के अनुरूप ऐसा नहीं करेंगे, तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा। राजनीति में सबका दृष्टिकोण अलग–अलग होता है। मैंने इसका इतिहास जानना चाहा तो पता चला कि वनांचल और उत्तरांचल नाम इस विचार से आया था कि हमारे जितने पर्वतीय राज्य हैं, वह वनों के अंचल में हों। इस राज्य को देव भूमि और देवांचल के नाम से पुकारा जाता है। कामरेड पी0सी0 जोशी जी को मैं श्रद्धान्जलि देना चाहता हूं, वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे।

मान्यवर, एक बार बम्बई जाते समय हम लोग एक ट्रेन में मिले थे तब उन्होंने बताया था। इसलिए एतिहासिकता को कायम रखते हुए रखा है। इसमें आप भी विचार कर लें। पुनर्विचार करके हमने भी बहुत से कार्य किये हैं। जहां तक अभिभाषण में लम्बी–चौड़ी घोषणाओं की बात है, वह इसमें नहीं की गई है। मेरे छोटे भाई राजनाथ सिंह, जो उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मन से घोषणाएं की होंगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसलिए उन्हें बड़ी घोषणाएं करनी पड़ी। इसलिए उनका नाम घोषणाओं पर यूं पड़ गया कि वे घोषणाएं बहुत करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में ध्यान रखा गया है कि घोषणाएं बहुत ज्यादा न हों। नेता विरोधी दल के समय में जो अच्छी योजनाएं बनी, उनका भी विवरण है। हम कोई अमेरिका या जापान से लेकर घोषणायें नहीं आये हैं। हमने योजनाओं को ज्यादा तेजी से आपके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। विरोधी दल का यह दायित्व है कि हम ढीले न हों, यहां पर नेता मौजूद हैं जो हमें कसे रहेंगे। हमने आपकी ही मदद की है। इसलिए हमने आप पर भी बोझ डाल दिया है। लेकिन जो काम देर में होने वाले हैं, उनमें तो समय लगेगा ही। आजकल एक एडवरटाईजमेन्ट आता है कि "चुटकी में चुटकी से प्यार हो जाये।" ऐसा नहीं है कि यह प्रदेश चुटकी में ही ऊर्जा प्रदेश बन जायेगा। समस्यायें वही हैं, बुनियादी कमजोरियां वही हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है कि साधनों की कमी है। अब साधन कहां से लाये जायें ? हमें अभी पुरानी पत्रावलियां देखने का मौका भी नहीं मिला है। मैं चीजों को बहुत गहराई से देखता हूं। वित्त का दायित्व मैंने इसलिए

लिया है कि एक बार मैंने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है और एक बार केन्द्र का बजट पेश किया है। उस समय की स्थिति आज नहीं आ सकती है। लेकिन तब आपने या केन्द्र सरकार ने, प्लानिंग कमीशन आदि ने जो सुझाव दिये हैं उनका गहन अध्ययन करके हम साधनों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज कोई कहता है कि व्यापार में दोहरी मार पड़ रही है। तो एक तरफ विकास में टैक्स प्रणाली रुकावट न बने, दूसरी तरफ साधन भी बने, इसका प्रयास किया जायेगा। मैं इस संबंध में सभी सदस्यों से अलग से बात करूंगा और राज्य के संसाधन बढ़ाने के लिए उनके सुझाव लूंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि मीडिया सेन्टर देहरादून है। आज इतना अधिक कम्पटीशन होते हुए भी मीडिया ने एक सही मुकाम बना रखा है। मैंने सब अखबारों की कटिंग को बांट लिया है।

मान्यवर, चाहे राष्ट्र के बारे में हो, चाहे प्रदेश सरकार के बारे में हो। मैं मीडिया का पूरा सहारा ले रहा हूं, इन सुझावों के बारे में आलोचनाओं को मान्य कर रहा हूं और ये नहीं कि जो आलोचनाएं हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, इसलिए पहले से ही हमारे यहां कहा गया है– "निंदक नियरे राखिए" पहले तो आलोचनाएं हैं, इनको भी देखना है, इनको बड़ा तजुर्बा है, उनको नजदीक से देखिये, वह कितनी सही कह रहे हैं। हम कहते हैं, हम सब सही जानते हैं, कुछ हमारा दिमाग बढ़ा है, हमारा बड़ा तजुर्बा है, लोग लम्बी हांक लें, हम इस घमंड में चूर रह जायेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल माननीय सदस्यों के पास तमाम पत्र आ रहे हैं, जो नये–नये सदस्य चुनकर आये हैं उनके पास ज्यादा आ रहे होंगे, लोगों को आपसे बड़ी आशाएं होती हैं।

वर्तमान में बेरोजगारी के सबसे बड़ी समस्या है। मान्यवर, दो लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार की घोषणा है, हमने ज्यादा लम्बे–चौड़े वायदे नहीं किये, दो लाख भी कम हैं। अभी मान0 संसदीय कार्यमंत्री ने जो आंकड़े दिये उसमें तो एक लाख 32 हजार पंजीकृत बेरोजगार हैं, पढ़े–लिखे बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है, इसका भी हमने उपाय निकाला है, इसलिए हमने महामहिम के अभिभाषण में साफ–साफ लिखा है कि हम रोजगारपरक प्रयास करेंगे, इसमें सरकारी, गैर सरकारी या स्वरोजगार के अवसर देंगे। इस संबंध में मुझे अध्ययन करने का जो मौका मिला, ज्ञात हुआ कि पिछले 10 सालों से केन्द्र से जो रोजगारपरक योजनायें राज्यों को मिली हैं, उनका न हम और न उत्तर प्रदेश सरकार लाभ उठा सकी है, हो सकता है, हमें पर्याप्त समय न मिला हो। इन योजनाओं का अध्ययन करके जो इन योजनाओं का बकाया पैसा है, उसके लिए योजनाएं बनायी हैं, कोशिश की है, दौड़–धूप चल रही है। रात दिन टेलीफोन बज रहे हैं, रोजगारपरक योजनाओं के लिए अगले वर्ष हमारी ये कोशिश होगी कि इस सदन के आशीर्वाद से जो रोजगारपरक योजना हो, उसको हम स्वीकार करें, अपना हिस्सा दें भारत सरकार 75 फीसदी देती है तो हम 25 फीसदी देकर उसको हम हल करेंगे, हम रोजगार बढ़ाने का प्रयास करेंगे जो रिक्तियां हैं, चाहे आरक्षित क्षेत्र में हों या सामान्य क्षेत्र में हो, उनको भरने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में उ0 प्र0 के विकल्पधारी जो शिक्षक हैं, अभी यहां काम कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं कल लखनऊ जा रहा हूं, वहां राज्यपाल महोदय का शासन है। राज्यपाल महोदय से बातचीत करके इन कर्मचारियों के बारे में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे यह मामला शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझ सके। इनको निकालना ठीक नहीं होगा और संवैधानिक भी नहीं, यदि हमने इन्हें निकाला तो अकारण एक आन्दोलन छिड़ जायेगा। जिन्होंने यहां सेवा की है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक नही

होगा। जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विकल्प दिया है, उनके स्थान पर हम नई भर्ती करेंगे। मैं समझता हूं जो क्वालीफाइड लोग हैं, उन्हें शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर जोर देना चाहिए। मान्यवर, शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्र इनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, नियमित की बात इसमें है नहीं, इनको भी किस तरह नियमित किया जा सकता है, क्योंकि हर तरफ से मांगें आ रही हैं।

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग के बारे में पहले घोषणा हो चुकी है, पिछली सरकार ने घोषणायें की हैं। मान्यवर, हमने फाइनेन्स कमीशन में पूरी तरह पैरवी की हर मेम्बर के घर गये, चेयरमैन के घर गये, टाईप करने वाले के घर गये, इस तरह से हमने फाइनेन्स कमीशन में उत्पादक व्यय बढ़ाया, तनख्वाह में, मंहगाई मद में, 11वें फाइनेन्स कमीशन में हमने उसको प्राप्त कर लिया। यहां हमें अवसर नहीं मिला जो पंचम वेतन आयोग जो हमें वेतन देना है और जो आश्वासन हो चुके हैं, नई सरकार से आशायें हैं। 11वें कमीशन के आधार पर कुछ को फाइनेन्स कमीशन के वेतन दिये हुए हैं, लेकिन उत्तरांचल बनने की आवाज बडी जोर से उठी थी। वह जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा, इस बीच में जो समय का गैप रहेगा उसके लिए हमें रिजर्व बैंक से व्यवस्थायें करनी पड़ेंगी, कहीं पर ओवर ड्राफ्ट हो जाय उसकी भी रिजर्व बैंक से बातें चल रही हैं ताकि हम ओवर ड्राफ्ट निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। कोई ऐसा देश नहीं है जो विश्व के संस्थाओं से सहायता ले रहा हो, एक अमेरिका को छोड़कर बाकी हर देश दूसरे को मदद दे रहा है। सब एक दूसरे के कर्जदार हैं, हम भी राज्यों के कर्जदार हो सकते हैं, भारत सरकार के कर्जदार हो सकते हैं। ओवर ड्राफ्ट हम जानबूझ कर नहीं करेंगे। पिछले आश्वासनों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक से या अन्य बैंकों से सहायता लेनी पड़े या केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता लेनी पड़े। मैं इस सदन से यह अपेक्षा करूंगा कि इस बीच में बैंकों से और जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे हमारी बातचीत और तेज हो गई है। हमारे यहां जो लघु उद्योग विकास बैंक है उसका दफ्तर खोलने का निर्णय ले लिया है, जितने अधिक बैंक यहां खुलेंगे, वित्तीय विनियोग कैसे करना चाहिए वह खुद सोंचे।

यहां जीवन बीमा निगम का कार्यालय सामने है। जीवन बीमा निगम की योजनाओं का पैसा यहां मौजूद है। समाज कल्याण की योजनायें हैं ये सब उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 6–7 दिन रह गये हैं और जीवन बीमा निगम का जो करोड़ों रुपया जितना प्रीमियम जमा होता है उसका बहुत बड़ा भाग। मान्यवर, अन्य उत्पादक बिजली की योजनाओं में लगाते हैं। उत्तरांचल का अभी हिसाब लेना बाकी है कि यहां के 75 लाख लोगों ने जीवन बीमा निगम में कितना लगाया, क्या प्रीमियम दे रहे हैं। सालाना और माहवार क्या दे रहे हैं, उसका कितना –कितना हिस्सा उत्तरांचल में विनियोजित हो रहा है। उसका हम हिसाब लगायेंगे फिर उनसे मांग करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो नगरीय आवास और दूसरे छोटे आवास मध्यम वर्ग के आवास हैं उनके लिए मदद मिलेगी। ग्रामीण पेयजल योजनाओं में मदद मिलेगी। इसी तरह जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के द्वारा जिसमें ट्रांसपोर्टरों का इतना बड़ा काम होता है वह ट्रान्सपोर्ट के कामों से जनरल इन्श्योरेंस के द्वारा बड़ी भागीदारी होती है। इसी तरह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा जो वित्तीय संस्थान अपने को चलाते हैं उनकी सहायता हमें मिले, यह कितनी मिल रही है और कितनी मिल सकती है। इस संबंध में हम बैंकों की मीटिंग इसी अप्रैल में 15 दिन के अन्दर करेंगे। चूंकि यहां लीड बैंकों ने अपना काम नहीं किया है। लीड बैंकों को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए थी, चाहे वह पंजाब नेशनल

बैंक हो, देहरादून में स्टेट बैंक, पिथौरागढ़ से लेकर गढ़वाल तक हमारे जिलों में जो बैंक हैं उनसे हम एक-एक जिले का हिसाब मांगेंगे कि उन्होंने जिलों को कितना वापस किया है प्रायरोरिटी सेक्टर के लिए क्या किया है।

अभी तक भारत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वह पिछले 4-5 सालों में केन्द्र में कई सरकारें आई गई। 10 सालों में उन्होंने प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण देना चाहिए था वह ऋण सीधे किसानों को देने के बजाय उन्होंने नाबार्ड को दे दिया। मझोले किसानों को देने के बजाय नाबार्ड को दे दिया। नाबार्ड ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े आठ प्रतिशत की दर से सड़कों को बनायें। यह पैसा बैंकों का है, उन्होंने नाबार्ड को कर्ज दे दिया नाम मात्र के ब्याज पर नाबार्ड ने फिर उसे ग्रामीण विकास योजना बना करके अपनी ओर से फिर कर्ज आठ प्रतिशत की दर से राज्य सरकार को देना शुरू किया। अगर वह किसानों को सीधे मिलता तो चार प्रतिशत की दर से मिलता। कम रेट पर ब्याज मिलता, जो नाबार्ड के जरिए राज्य सरकार को मिल रहा है। यह 5 प्रतिशत की दर से मिल रहा है। जो रिजर्व बैंक और भारत सरकार का उद्देश्य था उसका पालन नहीं हो रहा है। हम इसकी खाई को दूर करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में चार प्रतिशत कर्ज देने के लिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने जिले के लीड बैंक से सम्पर्क करें और उन्हें सुझाव दें कि वह जिले के जमा ऋण अनुपात बढ़ाने में पूरा प्रयास करें। इसके लिए हमने सीधे प्रयास शुरू कर दिये हैं। मुझे विश्वास है कि ऋण जमा अनुपात का लाभ देहरादून को होगा, हरिद्वार को होगा। हर नगर को होगा तथा हर कस्बे को होगा। टूरिस्ट काटेज की योजना हमने बहुत पहले स्वीकार की थी वह योजना आज भी कागज में हैं, लेकिन चल नहीं रही है।

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने कहा कि फाइव स्टार होटल बड़े-बड़े रिजोर्ट, यहां पर रुपया लाकर लोग खोल रहे हैं, किन्तु आमदनी नहीं बढ़ रहीं है। फाइव स्टार कल्चर आ रहा है किन्तु उससे प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ नहीं रही है। स्टेट बैंक के साथ यह तय हो चुका है। इस सम्बन्ध में जो योजना थी वह वे भूल गये, हम भी भूल गये। जैसा कि संसार भर में पहाड़ी देशों में होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। टूरिस्ट काटेज जो रास्ते में पड़ते हैं उनमें उस गांव के लोग उस गांव की आबादी के हिसाब से आबादी से थोड़ा हटकर, किसी ने दो कमरे का काटेज बना लिया, दो कमरे दे दिये उसमें साफ-सुथरा बाथरूम होना चाहिए, उसका बड़ा महत्व है। फाइव स्टार में होता क्या है बस बाथरूम चमकते हैं। रिजोर्ट में क्या होता है। हम भी बना सकते हैं, सभी बैंकों से कर्जा लेकर बनाते हैं। आज हम में इन्टरप्रिन्योरशिप और अपने में एक स्प्रिट कायम करनी होगी ताकि हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।

मान्यवर, हमारे यात्री तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और ज्यादा न रुककर फिर वापस आना पड़ता है। यात्री बद्रीनाथ, गंगोत्री आदि तीर्थस्थलों पर पहुंचा नहीं कि उसे फिर लौटना पड़ता है। मान्यवर, हमें एक ऐसी योजना बनानी है कि अगर कोई यात्री बद्रीनाथ, गंगोत्री आदि तीर्थस्थलों पर जाते हैं तो वे यात्री बीच में कहीं हफ्ते-दो-हफ्ते के लिए रुक सकें जिससे कि वह आराम से पूजा, ध्यान, चिन्तन कर सके। उनके टिकट में पंचिंग की व्यवस्था कर दें जिससे की वे वहां हफ्तों रुक सकें और आराम से ध्यान कर सकें। वहां पर काटेज की व्यवस्था दें जिससे कि उनके रहने की व्यवस्था हो जाये। वहां पर किचेन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि खाना बना सकें। पेइंग गेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए जो खाना भी दे सकते हैं। इस तरह के विकास ही हमें विकास की ओर बढ़ायेगा।

मान्यवर, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, लेकिन कल्पना ही पूर्ण होती है। मान्यवर, वहां पर काटेज की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वे रह सकें और गीता का अध्ययन करें, चिन्तन करें।

मान्यवर, इसी तरह से जड़ी–बूटी का मामला है। हमारे सामने चैलेंज है, कि हम जड़ी–बूटी उद्योग को, 17 हजार करोड़ रुपये की जड़ी–बूटी, बाहरी राज्यों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केरल वाले आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हमने जड़ी–बूटी के व्यापक स्तर पर कृषिकरण के लिए 3 माह का समय सुनिश्चित किया है।

अब यह 3 महीने में कैसे होगा कृषिकरण, बड़ा अच्छा सवाल पूछा हमारे माननीय सदस्य ने। इस तरह वन की नीति में सुधार हो जायेगा। वन नीति में जड़ी–बूटी की नर्सरी बड़े पैमाने पर लगाई जायेगी और जो सामुदायिक योजना में आपने लिखा था कि 20 प्रतिशत हमारी भूमि सामुदायिक ढंग से विकास होगा, उस सामुदायिक भूमि में जड़ी–बूटीकरण करेंगे और यहां पर हमारे जो संगठन के लोग हैं जैसे जड़ी–बूटी संस्थान गोपेश्वर में है हम उनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले 3 माह के अन्दर जड़ी–बूटी संस्थान, गोपेश्वर वैली के क्षेत्र की जितनी भूमि है उसका एक एरिया ले लें और यह देखें कि किस जड़ी–बूटी को कहां लगाना है, कहां लगाया जा सकता है, उसका सर्वे करके उसका कार्य कर लें और फिर उसके लिए बैंकों से या नाबार्ड से, एक संस्था थोड़े ही है, नाबार्ड इसके लिए पैसा देता है, यह जो जड़ी–बूटी संस्थान भारत सरकार ने खोली है, वह भी मदद देती है जो कि इसके लिए पैसा देती है, और एन0सी0डी0सी0 जो इतनी बड़ी योजना बनाती है उसके सामने हमने कोई योजना बनाकर नहीं दी है। कोआपरेटिव बैंक भी पैसा देता है। हम जड़ी–बूटी संस्थान से कहेंगे कि रानीखेत में जो जड़ी–बूटी संस्थान है उससे समन्वित करें, योजना बनायें। एक रानीखेत भी हो, वहां भी हो, हर जगह हो जो जहां है, उसे वहां रहने देना है। लेकिन उनका समन्वय करना है। द्वाराहाट, सल्ट, भिक्यासैंण में उनसे कह दिया जायेगा कि आप 500 एकड़ में जड़ी–बूटीकरण करें। उनको कह दिया जाय कि 500 एकड़ जमीन पर आपका क्या लक्ष्य है। उनके साथ गांव वाले ग्रामसभाओं को जोड़ दें। वर्तमान पंचायतें आज मुझे बताया गया कि 7 हजार पंचायतें हमारी यहां हो गई हैं। वर्तमान पंचायतों को लक्ष्य दें हम, अपने यहां 20–25 एकड़ जमीन पर आप जड़ी–बूटीकरण करके दिखायें। हम इण्डियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट से भी कहेंगे कि आपका एक इतना बड़ा संस्थान विश्व मानवी संस्थान है। कुछ अपने प्रोफेसरों का एक्सटेंशन कार्यों में लगाकर प्रसार सेवा कार्य में वह अपना लें जड़ी–बूटीकरण के लिए। इस तरह यह रणनीति मैं सदन के सामने रख रहा हूं। जिस रणनीति में, अगर इसमें कोई कमी है तो आप सुझाव दें मैं यह नहीं कहता कि यह रणनीति बन गई, प्राथमिक विचार जो शासन के सामने आया है उनको उसके सामने स्फुट आधार पर रख रहा हूं। उनको परिवर्द्धन करना, उनका परिमार्जन करना या अगर ये गलत है तो नया कोई विकल्प बनायें, ये माननीय सदस्यों के हाथ में है। बिजली के बारे में ऊर्जा राज्य इसमें हमने ज्यादा नहीं घोषणा की है। 3 हजार मेगावाट बिजली का 5 साल में। हम जानते हैं कि इसके लिए कितना रुपया जोड़ना पड़ेगा आप जानते हैं, श्रीमन् सदन जानता है, श्रीमन्। हमें मालूम है कि इसके लिए हमको पावर फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया जिससे पूर्व सरकार ने बातें की हैं, उन्होंने कुछ गारण्टी मांगी थी पूर्ववर्ती सरकार से। 800 करोड़ रूपये की गारण्टी मांगी थी मनेरी भाली परियोजना दूसरी हमें उस पर तत्काल काम शुरू करना है। उन्होंने

कहा गारण्टी दीजिए हम रुपया देते हैं। जितनी जल्दी हो सके और यहां उसको पहले से कह रखा है कि नेशनल हाइड्रो कारपोरेशन बनायेंगे हम उस गारण्टी के जरिये। गारण्टी हमने कर दी है 800 करोड़ रुपये वह देंगे मनेरी भाली के लिए हमें आश्वस्त किया गया है और हम उसे इन कारपोरेशनों को दे देंगे। और फिर वे अपना कार्य समय से पूरा करें। इसी तरह तो छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का प्रश्न है। आज वहां इसका प्रश्न आया था वह काम नहीं कर रही हैं श्री कण्डारी जी ने यहां यह प्रश्न उठाया था। अब, मैं इस विषय का विद्यार्थी रहा हूं बहुत पुराना जल विद्युत योजनाओं का। मुझे श्रीमन्, वह समय याद आ रहा है कि शान्ति प्रपन्न शर्मा जी, माननीय स्व0 श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी विद्युत मंत्री थे उनको भी इस देवभूमि से बड़ा प्यार था और ऋषिकेश के वे एक प्रख्यात आश्रम को चलाते थे।

मान्यवर, जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में आज नयी टेक्नोलॉजी विकसित हो गयी है। आज 30 मेगावाट तक की छोटी बिजली परियोजनायें भी बनायी जा सकती हैं। माइक्रो हाइड्रो कारपोरेशन के सहयोग से हम ऐसी परियोजनाएं बनायेंगे। हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि हमने मेन ग्रिड से जोड़ तो दिया, लेकिन बाद में बिजली मिलनी ही बन्द हो जाय। इसके लिए हमको एक छोटी ग्रिड बनाकर उसको भी मेन ग्रिड का हिस्सा बनाना होगा। हमारे यहां आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमने अभिभाषण के पैरा 22 में उल्लेख किया है–"राज्य के लगभग 3000 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां विद्युत व्यवस्था नहीं है। उनमें से लगभग 650 गांवों को ग्रिड के साथ जोड़ना शायद सम्भव न हो। अतः ऐसे समस्त ग्रामों में विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का गठन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा, तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत किया जायेगा"। इस बात का परीक्षण होना चाहिए कि स्वीट्जरलैण्ड और इंग्लैण्ड के गांवों में आज से 200 साल पहले बिजली कैसे पहुंची। इसका परीक्षण कराने के बाद इसको आधार बनाकर हम कोशिश करेंगे कि जिन गांवों को ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सकता, वहां पर छोटी विद्युत परियोजनायें बनायी जायें। इसके लिए जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं।

उद्योगों के लिए बहुत कुछ कहा गया, चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, या घरेलू उद्योग अथवा भारी उद्योग, सबके विषय में यहां पर चर्चा की गयी। हमने ऐसी उद्योग नीति लागू करने की बात कही है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हो। सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में हमने प्रस्तर–12 में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में हमको कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश को आदर्श बनाना होगा। हमारा प्रयास होगा कि हमारे राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक आधुनिक संचार प्रणाली से जुड़ जाये।

मान्यवर, हर तहसील से, हर ब्लाक से हमारे रेवेन्यू रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत हो जायें, जिससे जब चाहें हमें खबर मिल जाये कि गंगोत्री में क्या हो रहा है। हम इन्हें इण्टरनेट से जोड़ दें, तो हम बैटरी चालित कम्प्यूटर से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

रुड़की, जिसे आई0आई0टी0 बना दिया गया है, मैं आभारी हूं। इस रुड़की आई0आई0टी0 का भी हम उपयोग करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय का इस्तेमाल करेंगे। पंतनगर अपने अन्तर्राष्ट्रीय कैरेक्टर को बनाये रखे। अगर वह आई0सी0आर0 से दूर हो गया तो हमें नुकसान होगा। वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय कैरेक्टर को बनाये रखते हुए उत्तरांचल

के विकास में सहयोग दें। वहां ऐसी व्यवस्था की जाये कि वह कृषि के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। इसी तरह हमारी आदिवासी जनता चाहे वह ज्वारदामा की हो या अन्य कहीं की। मुझे एक कहावत याद आ रही है। जब मैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए गया तो उस समय जोशीमठ तक ही सड़क बनी थी आगे पैदल का रास्ता था, तो पटवारी ने कहा कि–

कहां नीति, कहां माणा,

मानसिंह पटवारी ने कहां–कहां जाणा।

(सभी माननीय सदस्यों के एक साथ हंसने पर व्यवधान)

मान्यवर, जो कमियां इतिहास में हो गई है, उन्हें दूर करना है। उद्योग के लिए भी हमारी उद्योग बन्धु की बैठक अगले महीने होने जा रही है। इसमें हम यह प्रयास करेंगे कि भारी उद्योग, मंझले उद्योग और जो भी आ सकते हैं। मैं माननीय चीमा जी से जानना चाहता हूं कि उनके कितने उद्योग उत्तरांचल में लगे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरे कुल तीन उद्योग उत्तरांचल में लगे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, हरिद्वार के संतों से मेरा आग्रह है कि उनके भक्त बहुत हैं, लेकिन एक भी भक्त उद्योगपति उत्तरांचल में उद्योग लगाने के लिए नहीं आया। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, लघु उद्योग लगेंगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा। बिजली हम देंगे तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार को मैंने ही जिला बनाया था। मैं दूसरी भावना से कह रहा हूं। हरिद्वार में बी0एच0ई0एल0 के पास छः हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वहां एक जूना अखाड़ा है। निर्मोही अखाड़ा है। भारतवर्ष में इनके भक्तों की सूची आप देखें इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वह अपने भक्तों को प्रोत्साहित करें। और हमसे सुविधायें लें। हम नहीं कह रहे हैं कि मुफ्त में कारखाने खड़े करें। मुफ्त में कारखाने कौन खड़ा करता है। मैंने तो देवभूमि विश्वविद्यालय के बारे में भी कहा कि आपके तो सारे देश में बड़े भक्त हैं, उनसे भी छोटे–बड़े उद्योग यहां पर लगे हैं। मैं समझता हूं कि इससे उद्योग लगाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

भ्रष्टाचार के बारे में ठीक कहा गया, आजकल भ्रष्टाचार ऐसा हो गया है कि हम परस्पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में समय व्यतीत करते हैं और मिथ्या आरोप लगाते हैं और हम राजनीतिज्ञों पर एक दूसरे पर इतनी जल्दी आरोप लगा देते हैं, प्रजातंत्र में तो राजनीतिज्ञ काम करते हैं, परन्तु इसमें होता क्या है जो भ्रष्टाचारी होता है वह बच जाता है और राजनीतिज्ञ एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते रहते हैं। इससे राजनेताओं का आदर कम हो रहा है। सब समझते हैं–काजल की कोठरी में, कैसे ही सयानो जाय, कालख की एक कोर, सो लागी है, तो लागी है।

मान्यवर, यह एक पुरानी कहावत है। एक कोर कहीं न कहीं लग जाती है, इसीलिए हमने लोकायुक्त की बात कही है। जिसको शिकायत करनी है वह लोकायुक्त के पास जाये, जो बात वह प्रेस में कह रहा है। लोकायुक्त के पास जाये और वहां पर इसकी जांच कराये। उसमें हम सब लोगों के नाम होंगे, मैं तो कहता हूं कि उसमें मुख्यमंत्री का पद सबसे पहली जगह पर होगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच

करेगा, यह कहना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भारत का लोकायुक्त जांच करेगा–जैसा कि पहले कई राज्यों में हुआ है, हम कहते हैं कि हमारा ही लोकायुक्त हमारी जांच करे, अगर इसमें विजिलेंस को जोड़ने की बात होगी तो वह भी आपके सुझावों के अनुसार जोड़ी जायेगी और लोकायुक्त को शक्तिशाली बनाया जायेगा, इससे जो झूठे मामले होते हैं वह धीरे– धीरे कम हो जायेंगे और जो सही मामले होंगे उन पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही होगी। वह जज स्तर के होंगे या कैसे होंगे इसमें हम आपकी भी राय लेंगे। लोकायुक्त लगभग सभी राज्यों में बन गये हैं, उनके अनुभवों का लाभ भी हम लेंगे।

मान्यवर, पेयजल और स्वजल की बातें भी हमने कही हैं। परन्तु इतने संशोधन किये गये हैं, जिसमें से कुछ व्यवहारिक हैं तो कुछे ज्यादती भरे हैं। मैं 77 साल का हो गया हूं, भगवान का आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत कार्य कर रहा हूं यदि आप ऐसी ज्यादती करेंगे तो मैं तनाव में आ जाऊंगा। हमारा जो यह अभिभाषण है यह एक दस्तावेज है, इसमें चीनी मिलों की बातें हैं, किसानों की बातें हैं, वर्कचार्ज की बातें हैं, वनों का मामला हो, वन पंचायतों के गठन का मामला हो, स्वरोजगार का मामला हो, इन सबके बारे में इसमें सब चीजें स्पष्ट हैं। यह सही है कि यह भाषण लम्बा हो गया है। राज्यपाल महोदय सही बात कह रहे थे इसलिए उन्होंने अभि0 भा0 के कुछ पैरों को समय बचाने के लिए नहीं पढ़ा। इससे उनका भी समय बचा और सदन का समय भी बचा, यह हमारा कोई चार्टर नहीं है। इसमें बहुत सारी पार्टियों के घोषणा–पत्रों को लिया है, अपना घोषणा–पत्र तो लिया ही है। कुछ बातें योजनाओं के लिए रखी है। हम यह कहें कि इसमें सारी बातें हैं, यह असम्भव है।

मान्यवर, यहां पहली विधान सभा का राज्यपाल का अभिभाषण था और यह चिन्हित करें कि पांच साल के अन्दर हमारे क्या–क्या लक्ष्य हैं, उसको परिभाषित करें। इसलिए यह लम्बा हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें ज्यादा नहीं लिखा गया योजना में उनमें फर्क क्या रह जाता, वार्षिक योजना बनेगी, वर्ष 2002–2003 की वह योजना पत्र ही हो जाता, जितना मंत्रिपरिषद् ने ठीक समझा कि हम संतुलित रखे लेकिन तथ्यपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण रखें, जिनको प्राप्त करना सम्भव है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए यह जो भाषण है इसको आप आशीर्वाद दें, इसको सहयोग दे, जो हमने अपने भाषण में आखिर में कहा है उसको दोहराना चाहूंगा कि मुझे आशा और विश्वास है कि राज्यपाल महोदय ने जो कहा है इसके लिए उन्हें आखिर में धन्यवाद देना ही होगा मुझे आशा है कि सभी नेताओं के समग्र नेतृत्व में हिमालय की चोटियों से यमुना टॉस और महाकाली के बीच में स्थित यह प्रदेश जिसे गंगा, यमुना, शारदा घाटियां मैदानों में और विस्तृत करती हैं जहां जौनसार भावर, नीतिमाणा, जोहार, दारमा आदि विशेष क्षेत्र स्थित हैं, विकास नीति निर्धारण नियमन और क्रियान्वयन के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

राज्य की प्रथम विधान सभा के प्रथम सत्र में हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होने वाली योजनायें बनानी हैं, उसका आधार है, राज्य सरकार का विश्वास है और मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेरा विनम्र व्यक्तिगत विश्वास है कि उत्तरांचल की महान जनता इस योजना के अनुसार बहुमुखी विकास का लाभ प्राप्त कर सकेगी और यह पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी में (इसको मैं अण्डर लाइन कर रहा हूं) है जो 100 साल चलेगी, विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। (मेजों की थपथपाहट) यह मेरी विनम्र आकांक्षा है,

इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं किन शब्दों में प्रेरित करूं। नेता विरोधी दल को अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा कि यह संशोधन वापस लें। मैं भी 4 बार विरोधी दल का नेता रहा हूं लेकिन मैंने कभी–कभी संशोधन वापस भी ले लिये थे। फिर मैं एक बार लम्बा बोल गया, मैं और भी बोल सकता था, मैं घबरा गया मैंने सोचा कोई बीच में बोले कि इतना लम्बा बोल रहे हो, अच्छा नहीं होता। मैं फिर एक बार सदन का धन्यवाद चाहता हूं, मेरे विनम्र विचारों को और तथ्यों को, सुझावों को सुना फिर एक बार धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन देते हुए माननीय अग्रवाल जी और समर्थक श्री गोदियाल जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन का समय, कार्य पूरा होने तक बढ़ा रहा हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा 47 में वन गुर्जरों के बहुआयामी एवं समेकित पुनर्वास की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। कतिपय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निवासियों के लिए उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारण कराने के सम्बन्ध में प्रयास की बात कही गई है। इधर वन मंत्री जी ने कहा है कि उनको विस्थापित नहीं किया जायेगा। यह थोड़ा विरोधाभाष की स्थिति है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, क्या मैं यह पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि क्या आपकी पार्टी का और हमारी पार्टी के घोषणा–पत्र में इस सम्बन्ध में तालमेल नहीं है ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, आपने शायद अखबार में छपी खबर का संकलन दिया है जो बहुआयामी और समेकित पुनर्वास, यह दो स्थितियां वन गुर्जरों की समस्याओं को हल कर सकती हैं। मैंने वन गुर्जरों के सम्मेलन में यह स्वीकार किया था कि पिछले कुछ वर्षों से उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है हम उनके हितों को ध्यान में रखेंगे। उस सम्मेलन में उन्होंने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा कि हमें एक जगह पर पुनर्स्थापित किया जाय। उस सम्मेलन में मैंने अपनी सहमति व्यक्त की थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं पर उन विभागों का जिक्र नहीं किया गया जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती है। जैसे आबकारी विभाग। मान्यवर, मेरी दूसरी बात यह है कि जो उद्योग बन्द पड़े हैं उनके बारे में विधान सभा की कमेटी बनाकर उसकी जांच करेंगे कि किन कमियों के कारण ये बन्द हुए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, आप सहमत होंगे कि हर विभाग के बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा कि उल्लेख करना सम्भव नहीं है। मुझे पता नहीं था कि आबकारी नीति पर विचार हो रहा है। हम सभी मेहनत से काम कर रहे हैं तो इसमें आबकारी का जो स्थान होगा उसका

प्रावधान भी है। उसके लिए आबकारी मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जल्दी से इस सम्बन्ध में कार्य करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो उद्योग बन्द हो गये हैं उनके बारे में भी मैं चाहता हूं, कुछ विचार आयें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, उद्योग लगाने के लिए एक कमेटी शीघ्र ही बनाई जायेगी। इसके लिए हम चर्चा कर लेंगे। उसमें आपका विशेष रूप से सहयोग चाहेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस सदन के अन्दर अधिकांश लोगों को बोलने का मौका दिया। मैं सोच रहा था कि आप उनको भी बोलने का मौका देंगे, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

अधिकांश को मौका दिया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, राज्य के बारे में क्या कल्पना होनी चाहिए और अपने माननीय नेता सदन से क्या अपेक्षा होनी चाहिए, तो इस पर मैं बोल चुका हूं। माननीय तिवारी जी अनुभवी हैं, प्रतिभा के धनी हैं और उत्तरांचल के प्रति लगाव भी हैं। उन्होंने एक पारस्परिक रूप में प्रयास किया है, जैसे–अभिभाषण लिखा जाता है, अभिभाषण पढ़ा जाता है और फिर स्वाभाविक रूप से सदन की भावनाओं को सुनने के पश्चात उस पर उत्तर देने का प्रयास किया है। मान्यवर, जो कार्य करने की क्षमता आपमें हैं, हमारे तो प्रतिपक्ष के बहुत से लोगों ने कहा कि हम सीखने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, आपने विस्तार से हर बिन्दु पर जाने की कोशिश की है। मान्यवर, आपने जड़ी–बूटी, विद्युत में वित्तीय दृष्टि से प्रकाश डालने की कोशिश की है।

मान्यवर, इस सदन से कहना है कि यह पहली विधान सभा है, हम मानकर चलते हैं कि ये पांच साल के लिए सरकार है। श्री काशी सिंह ऐरी जी कह रहे थे कि प्रियॉरिटी के बारे में कौन से हमारी पॉलिसी है, प्रियॉरिटी क्या है ? कौन सी स्कीम को आगे रखेंगे? एक 5 साल, एक 10 साल एण्ड देन अगेन 20–20 । यानी विजन 2020, जिसकी बात आप लोग बोलते हैं, क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन की बात बोली, आई0टी0, की बात बोले, मैं भी जो मैंने आपसे सीखा है, बोल रहा था। उस विजन का 20–20 या 10 साल का, 5 साल, का एक इस प्रकार की योजना बनाने का हमारा संकल्प था। मुझे लगता है कि इस प्रकार की योजना बनाने का संकल्प इस प्रकार यहां भी व्यक्त हो। इस अभिभाषण में इस प्रकार की बात आनी चाहिए। आपको अपना दीर्घ अनुभव है कि हमारे यमुनोत्री वाले और बहुत से हमारे बन्धु यहां भी बोल रहे थे और सत्तापक्ष की ओर से अपने क्षेत्रों के बारे में यहां बोल रहे थे। सड़क हमारी एक राजमार्ग बना दी। गैरसैंण से लेकर रामनगर तक राजमार्ग बनाने की बात आई थी। ऐसे बहुत से विषय थे। मैं नहीं समझता

कि हर विषय पर जाना आपके लिए सम्भव था। परन्तु कुछ विषय ऐसे हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए था। चूंकि आपने भी इन्टीरियर की चीजें देखी हैं। उत्तरांचल राज्य ऐसा पिछड़ा राज्य है जहां आज भी 40 किमी0–50 किमी0 दूर, लोग पैदल चलकर जाते हैं और एक बीच का क्षेत्र हैं जहां थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं और एक मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ और सुविधाएं हैं। उसमें कुछ और समस्यायें हैं, उस दृष्टि से क्या आपने कोई ऐसा विचार दिया कि इसमें ये क्षेत्र जो पिछड़े हुए है। उसमें से हर जिले में जो सबसे पिछड़ा ब्लाक है। उसका हम सर्वांगीण विकास करेंगे ? हरिद्वार वाले यह नहीं कर सकते कि हम नीचे हैं तो नीतियों का लाभ नहीं मिलेगा। मैं गांव में जाता हूं। जब मैं मंत्री था तो वहां हरिद्वार के एक गांव में गया। एक बेचारा ट्रैक्टर लेकर आया और कहा कि गाड़ी फंस जायेगी, तो मैंने कहा कि मैं तो पैदल मंत्री हूं मैं पैदल जाऊंगा। हर एक ब्लाक में जो पिछड़ा गांव है उसका एक मॉडल बनायें। हर एक जिले के अन्दर एक आइडियल ब्लाक बनाना चाहिए और एक जो सबसे पिछड़ा ब्लाक है उसे हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

हम 5 साल की योजना बना रहे हैं। कोई एक साल की नहीं। बजट भले ही हम एक–एक साल का पेश करें, यह अलग बात है। सरकार ने कहा कि प्रियॉरिटी तय होनी चाहिए। श्री काजी निजामुद्दीन जी ने कहा था कि पापुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। यह सौभाग्य है हमारे उत्तरांचल का कि यह जैसे शिक्षा में काफी आगे हैं वैसे ही पापुलेशन कंट्रोल में भी काफी आगे है। फिर भी हम उस दिशा में क्या सार्थक कदम उठा सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका दीर्घ अनुभव है इस देश से, इस प्रदेश का, आपका इस प्रदेश से अनुराग है। आपने कहा कि अभिभाषण में अधिक विषय नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए था। कुछ ऐसे विषयों का समावेश जो राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। मैं प्रतिपक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे कि श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी बोल रहे थे कि पर्यटन के क्षेत्र में। ऐसे विषय में यदि आपका कोई सार्थक उत्तर आता तो हमें ऐसा लगता कि हम यहां कुछ बोलें। भ्रष्टाचार के मामले में आपने कहा। जब श्री बलवीर सिंह नेगी जी बोल रहे थे कि पिछली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन मुझे कष्ट इसलिए नहीं हुआ कि हो सकता है कि मेरे साथी भ्रष्टाचारी न रहे हों, मेरे सेक्रेटरीज भ्रष्टाचारी न रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार है। यह केवल लोकायुक्त या लोकपाल बनाने से अगर हम सोच लेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो यह सम्भव नहीं है। यह एक बड़ा घुन है और हम सबके लिए बड़ा चिन्तनीय विषय है। इस प्रकार से हम अपनी प्रशासनिक मशीनरी को पटरी पर लायें। पिछली बार 2 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या कोई घूस ली गई। मान्यवर, हमको नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा।

हमारा यह प्रदेश गंगा और हिमालय का प्रदेश है, हमें इसको स्वच्छ और निर्मल बनाना होगा। आज सारे देश के लोगों को नजर हम पर है। सत्ता में लोग आते जाते रहते हैं। कल तक हम थे, आज आप हैं और कल कोई दूसरा आ सकता है। हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर सकें। स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी शासन को कोई ऐसी नीति बनानी होगी, जिससे कोई शासन के ऊपर उंगली न उठा सके। हमारे छोटे से राज्य में इतने बड़े पद के नेता मुख्यमंत्री बने हैं, तो अभिभाषण में कुछ ऐसी बात आनी चाहिए थी, जिससे यह लगता कि

चिन्तन–मनन के बाद इसे तैयार किया गया है। अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि मैं बहुत टेन्शन में रहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी कुछ जिम्मेदारी अपने मंत्रि–परिषद् के सहयोगियों को भी सौंप दें। हमारा यह छोटा सा राज्य है अगर यहां के मुख्यमंत्री ही टेन्शन में रहेंगे तो उसकी छाया पूरे प्रदेश पर पड़ेगी। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा, जब आपने कहा कि मैं लम्बी घोषणाएं नहीं करूंगा। पिछले 20 दिनों से आप देहरादून में रहकर शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। कई बार बहुत से मंत्री और मुख्यमंत्री शिलान्यास मंत्री के रूप में विख्यात हो जाते हैं। आप जिस तरह की परम्पराएं यहां पर डाल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसका पालन हमारे माननीय मंत्रीगण भी अवश्य करेंगे। मान्यवर, जो निगम बन्द हो गये हैं जैसे हिल्ट्रान आदि इनके कर्मचारियों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया कि इनका समायोजन कहां किया जायेगा। आपदा नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हू कि हमारे उत्तरांचल में आयदिन बाढ़ की विभीषिका का सामना कृषकों को करना पड़ता है। दैवी आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है ? मैंने इस बारे में कारगर कोशिश की थी। मैंने योजना बनाई थी कि जो नहरें पिछले पांच सालों से बन्द पड़ी हैं, उन्हें जून तक चालू किया जाय और इस पर अमल भी हुआ। इस प्रकार की योजनायें बनाई जायें। मुझे लगा कि शायद इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। आपके अभिभाषण में कहीं न कहीं महिलाओं के आरक्षण की बात भी आनी चाहिए थी। उत्तरांचल के निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, महिला आरक्षण की बात भी अभिभाषण में आनी चाहिए थी। कृषकों को कर्ज लेने में सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे कम से कम कर्जा लेना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा इस संबंध में सुझाव आना चाहिए था।

आपने कहा कि हम साधु–संतों को भी विकास में लगायेंगे। आपने पोप का उदाहरण भी दिया। अगर आप हरिद्वार को वैटिकन सिटी बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम के कारण बहुत से कार्य रुके पड़े हैं। इस संबंध में आपने कोई बात नहीं कही है। मान्यवर, किस प्रकार से विकास कार्य रुके पड़े हैं, किस प्रकार से कठिनाई आती है कि किस प्रकार से हम नियमों को शिथिल कर सकते हैं, हो सकता है मैंने अपने एडवोकेट जनरल से भी कहा था कि हाईकोर्ट के लिए तैयारी कीजिये। हो सकता है, हमें जाना पड़े क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा अपनी जगह है, पर्यावरण मनुष्य के लिए हैं, रास्ते क्यों नहीं बन सकते इसके लिए हम सब भुक्तभोगी हैं इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है इस दृष्टि से इसका इसमें वर्णन होना चाहिए था। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इन सारी चीजों को इसमें आना चाहिए था। मान्यवर, मैं बहुत लम्बी बात नहीं कर रहा हूं असफलता नहीं बल्कि एक छोटा लक्ष्य अपराध होता है हमको कम से कम पूरा लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। पूरे उत्तरांचल का सवाल है, हम अमुक–अमुक बिन्दु रख रहे हैं, उन बिन्दुओं से निश्चित रूप से इससे हमको लाभ मिलता। मेरा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हमारे सभी प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उन संशोधनों का मैं सर्मथन करता हूं। यह संशोधन निश्चित रूप से राज्य के हित में हैं, ये किसी भावावेश में नही रखे गये हैं, हमने रचनात्मक सुझाव रखे हैं इसलिए मैं अपने संशोधनों तथा अपने साथियों द्वारा रखे गये संशोधनों का पुरजोर से समर्थन करता हूं तथा मांग करता हूं कि इन्हें स्वीकार किया जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मैंने सभी पक्षों पर इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मान्यवर, आज प्राईवेट मेम्बर डे भी हैं। प्राईवेट मेम्बर डे का अपना एक महत्व होता है तो मैं इसे इनक्लोज नहीं करना चाहता मैं इस पर ज्यादा लम्बी बहस नहीं करना चाहता। मैं चाहता तो सारी बातों को कह सकता था। मान्यवर, श्री काजी निजामुद्दीन साहब ने और श्री शैलेन्द्र जी ने जो सुझाव दिये हैं उन सब पर विचार होगा, आप ये न समझें कि मैंने उनका उल्लेख नहीं किया इसलिए उन पर विचार नहीं होगा ऐसा नहीं है। मैं उन सबका आभारी हूं कि आपने इस तरफ ध्यान दिलाया। यदि आगे मैं कहीं पर कोई गल्ती करूंगा तो आप सही करते रहेंगे, मान्यवर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सब के सुझावों पर विचार होगा, योजना नीति बनेगी, सबका ध्यान रखा जायेगा और पहले प्रथम वार्षिक योजना बननी है प्रदेश की पंचवर्षीय योजना बननी है, दीर्घकालीन योजना बननी है मैं इन सुझावों का पूरी तरह से अध्ययन करके विचार करूंगा। आप सभी सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद।

* श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर पुनः बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह पूरा सदन इस बात के लिए गौरवान्वित है कि हमारे परम आदरणीय श्री तिवारी जी के साथ इस सदन में बैठकर हम सब गौरव का अनुभव करते हैं, एक सम्मान का अनुभव करते हैं, उनके सानिध्य में सीखने का मौका मिलेगा। श्री तिवारी जी का उत्तरांचल का मुख्यमंत्री बनना उत्तरांचल का गौरव सारे देश में बढ़ा है। मान्यवर, सबसे पहली बात आई उत्तरांचल के नाम की जिसको हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड करने के लिए प्रस्ताव भजेंगे, जिस पर सदन में बहुत चर्चा हुई। उत्तराखण्ड का जो आन्दोलन चला वह उत्तराखण्ड के नाम से चला, इससे हमारी पहिचान बनती है। हम कहते हैं हम भारतीय हैं हमको गौरव होता है, भारतीय में हमारी एक पहिचान बनती है। हमारी पहिचान निश्चित रूप से इस बात में बनती है कि हम अपने को उत्तराखण्डी कहते हैं। हमारे भाई भी इस बात को प्रस्तावित करें, इसका नाम, उत्तराखण्ड किया जाय। पूरी चर्चा को सुनने और देखने से लगा कि हमारे प्रतिपक्ष के भाईयों को अभी तक कुछ बेचैनी है, उनको लगता कि 20 दिन की सरकार 24 घण्टे में सब ठीक कर दे। इस पर मुझे एक शेर याद आता है–

"कि हालात मैके देके करवट बदल गये हैं,
साथी बहक गया है मैकप संभल गये हैं।"

मान्यवर, हमें इसमें कुछ–कुछ सुधार अवश्य करना पड़ेगा। हमारा जो शासन है, इन सभी कार्यों की समीक्षा कर रही है जो पुराने शासन में की गई है। आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में हम आपसी सहयोग सद्भाव और प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर कार्य करें, जैसा हमारे प्रतिपक्ष के साथी जो उनके शासनकाल में सम्भव नहीं हुआ। मान्यवर, एक बड़ी चर्चा आई जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षक भेजने हैं उनको 24 घण्टे में भेजने की बात हमने की थी, मैं कहना चाहता हूं आपके शासनकाल में 302 और 307 के सजा याफ्ता पुलिस कर्मी थे वह भी उत्तर प्रदेश में नहीं भेजें गये। आपके शासनकाल में एक भी विकल्पधारी शिक्षक उ0 प्र0 में नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमने 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर आपने चिन्ता व्यक्त की है कि हम इतने लोगों को रोजगार कैसे देंगे। मान्यवर, हमें एक वर्ष का समय दीजिए। मान्यवर, हम दो लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने मितव्ययता के सम्बन्ध में बात की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके शासन काल में राजधानी निर्माण में जो करोड़ों खर्च किये गये उस समय प्रतिपक्ष के लोगों ने यह मांग उठाई थी कि जो राजधानी निर्माण में घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच कराई जाय किन्तु उसकी जांच नहीं करायी गयी तथा किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो दोषी पाये गये उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष हमसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इस समय बहस न करें, बहुत लम्बी–चौड़ी बहस हो जायेगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो भ्रष्टाचार की बात की है। ऐसा नहीं है कि हम और हमारी सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी। हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा हो रही थी, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से बता दिया है कि हम स्थानीय निकायों के चुनाव करायेंगे। मान्यवर, परिसम्पत्तियों के बारे में हमारी सरकार ने प्रयास किये हैं उसी का फल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जाकर माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर परिसम्पत्तियों के बंटवारे की बात करेंगे। तत्कालीन सरकार जो कि आपकी थी उस समय केन्द्र में भी आपकी सरकार थी तथा यहां भी आपकी सरकार थी लेकिन परिसम्पत्तियों के बंटवारे का कार्य आप नहीं कर पाये। उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। इसलिए ऐसा नहीं हो पाया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में न बोलने दें। यहां पर जो भी चर्चा होती है वह रिकार्ड होती है वह रिकार्ड में आ जायेगी। हमने बिजली सम्पत्तियों का बंटवारा करवाया और भी परिसम्पत्तियों के बंटवारे हुए। यह तो एक आरोप हुआ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग वक्फ बोर्ड तथा हज कमेटी बनाने का जो फैसला लिया है वह पिछली सरकार ने नहीं लिया उन्होंने उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। हमारी सरकार जो भी जनहित में कार्य करेगी उसका जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। उसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं। हमारे जो प्रतिपक्ष के भाई, वह इस बात से बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं बहुत जल्द अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने जो भाव व्यक्त किये थे जिसको विषय की कोई जानकारी भी नहीं होगी तो भी यह कहेगा कि मेरा विषय आज ही आ जाना चाहिए। हम लोगों ने तो बड़े सोच–समझकर अपना संशोधन रखा, इसलिए मैं अपने संशोधनों को स्वीकार करने के लिए जोर देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेतागण/माननीय सदस्यों ने महामहिम के अभिभाषण में जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2002 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को रु0 75 लाख से बढ़ाकर रु0 एक करोड़ कर दिया जाये" विषयक संकल्प

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को रु0 75 लाख से बढ़ाकर रु0 एक करोड़ कर दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

श्री बिशन सिंह चुफाल जी आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

"हरिद्वार में अर्धकुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थाई कार्य किये जाये" विषयक संकल्प

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्धकुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

"उत्तरांचल के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें" विषयक संकल्प

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

"उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243(क) से 243 य, च के प्राविधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाए" विषयक संकल्प

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243(क) से 243 य, च के प्राविधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाए"।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

"सबके लिए शिक्षा योजना की भांति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु कदम उठाये जायें" विषयक संकल्प

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि "सबके लिए शिक्षा योजना की भांति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बनाकर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई है जिसमें से डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी की सूचना जनपद चमोली, जौशीमठ के ग्राम लौंग (समेड़ी) में ग्लेशियर आने से हुई जन, धन की हानि के सम्बन्ध में है, इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री प्रकाश पंत की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उत्तरांचल में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धावस्था व्यक्ति को पेन्शन की धनराशि भुगतान कराने के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

[उत्तरांचल राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी जनपदों में चिन्हित 71794 वृद्ध व्यक्तियों जिनमें 60 से 65 वर्ष तक की आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रू0 125 प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है तथा 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा 75 रुपये प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा 50 रुपये प्रतिमाह देकर समानता बनाते हुए 125 रुपये प्रति वृद्ध व्यक्ति किसान पेन्शन दी जा रही है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2001–2002 में रु0 757.753 लाख की धनराशि का वृद्धावस्था पेन्शन एवं राष्ट्रीय किसान पेन्शन योजना के अन्तर्गत बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष फरवरी, 2002 तक 63496 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेन्शन हेतु रु0 585.88 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है। गत वर्ष 2000–01 में 69482 चिन्हित व्यक्तियों के सापेक्ष 65723 व्यक्तियों को वृद्धावस्था/किसान पेन्शन योजनान्तर्गत रु0 795.77 लाख की धनराशि वितरित की गई है।

इसी तरह राज्य में विकलांग भरण पोषण के अन्तर्गत चिन्हित 16709 विकलांग व्यक्तियों हेतु रु0 272.3 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 15473 विकलांग जनों को फरवरी, 2002 तक अनुदान वितरित किया गया है। गत वर्ष 2000–01 में चिन्हित 13146 विकलांग व्यक्तियों के लक्ष्य से अधिक 14121 विकलांग व्यक्तियों को प्राविधानित बजट रु0 196.1 लाख के सापेक्ष रु0 232.24 लाख की धनराशि वितरित की गई है। महिला कल्याण के अन्तर्गत 60 वर्ष से कम उम्र की निराश्रित विधवाओं को रु0 125 प्रतिमाह प्रति विधवा महिला के हिसाब से वर्तमान में चिन्हित 47101 विधवाओं को पेन्शन देने हेतु बजट में रु0 741.84 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 47101 विधवाओं को चालू वित्तीय वर्ष रु0 619.78 लाख की धनराशि वितरित की गई है।

विकलांग एवं वृद्ध व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृति का अधिकारी ग्राम प्रधान में निहित है, शासन द्वारा समाज कल्याण अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान के सापेक्ष समस्त धनराशि आवंटित कर निर्देश दिये गये है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवंटित धनराशि योजनानुसार वितरित कर दें]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि जिनको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, क्या सरकार उनको जल्द से जल्द पेन्शन दे देगी ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, शीघ्र देने का प्रयास किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मुझे याद है कि यह व्यवस्था पिछली सरकार में लागू की गई थी कि एक फिक्स बजट आवंटित कर दिया जाय। मान्यवर, पिछली सरकार ने वृद्धावस्था/विकलांगों के लिए एक फिक्स बजट आवंटित करने का निर्णय लिया था। इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि आज की तारीख में कोई महिला विधवा हो जाय तो उसे तब तक पेंशन नहीं मिल सकती जब तक कि कोई विधवा महिला न मर जाय। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के निर्णय न लिये जायें।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं श्री काशी सिंह ऐरी जी की भावनाओं का आदर करता हूं। पिछली सरकार ने जो योजना बन्द कर दी थी, उन्हें हम चालू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी जी की भावनाओं का आदर करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धों की पेन्शन की जो अनदेखी की गयी, उनको बन्द कर दिया गया। हमारी सरकार उनको पुनः चालू करने का काम करेगी।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बल्ब के निःशुल्क उपयोग करने के सम्बन्ध में श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

[उत्तरांचल के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को अविभाजित उ0 प्र0 में सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बल्ब निःशुल्क उपयोग करने की सुविधा दी गयी थी। परन्तु वर्तमान में उक्त व्यवस्था समाप्त कर उनके नाम विद्युत बकाया बिल जो 5 या 6 हजार रुपये से भी अधिक है, भेजे जा रहे हैं। जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना है तथा वे उक्त बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत 40 वॉट के 1 बल्ब के कनेक्शन की सुविधा वर्ष, 1988 में उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गई थी। इस कनेक्शन पर रुपये 7.50 प्रतिमाह की दर से बिजली का मूल्य लिया जाता था। यह सुविधा वही अनुमन्य थी जहां विद्युत परिषद् की एल0टी0 मेन्स मौजूद हों साथ ही प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत जनपदवार कनेक्शनों की संख्या का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता था अर्थात निर्धारित सीमित संख्या तक ही कनेक्शन इस योजना में दिये जाते थे।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश के समय में ही यह योजना वर्ष 1998 में बन्द कर दी गई थी क्योंकि इससे विद्युत परिषद् को काफी राजस्व की हानि हो रही थी। साथ ही उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के निर्देश तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संयोजन पर मीटर लगाना आवश्यक हो गया है। पूर्व में दिये गये कुटीर ज्योति कनेक्शनों पर भी तदनुसार मीटर लगाये गये। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण कतिपय विद्युत संयोजन विच्छेद भी किये गये हैं।

इस योजना में प्रति संयोजन व्यय वर्तमान में अनुमन्य रुपये 1000/– के स्थान पर प्रति संयोजन व्यय रुपये 2500/– अनुमानित है। इस सम्बन्ध में शासन केन्द्र सरकार से उक्तानुसार प्रति कनेक्शन दरों में वृद्धि कराकर तथा उक्त निर्देशों के अनुसार मीटर सहित संयोजन देकर कुटीर ज्योति योजनाओं को पुनः लागू करने पर विचार कर रही है।]

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा एक स्कीम चलायी गयी थी कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले जो लोग झुग्गी–झोपडियों में रहते हैं उनको एक–एक बल्ब सरकार निःशुल्क प्रदान करेगी। लेकिन प्रदेश सरकार ने 1998 में यह स्कीम खत्म कर दी और उनके नाम पर विद्युत बकाया बिल जो 5 या 6 हजार रुपये से अधिक है, वह भेजे जा रहे हैं। ये सब गरीब मजदूर हैं, इनकी प्रतिदिन की आय 40–50 रुपया है। ऐसे में 5–6 हजार रुपये की रिकवरी ये कैसे दे पायेंगे, ये सब जेल चले जायेंगे और आन्दोलित हो जायेंगे। या तो इनके कनेक्शन तभी काट दिये जाते या इनके पिछले बिलों को माफ कर दिया जाय और अगली स्कीम जो सरकार लागू करे, उसके अनुसार इनको सहूलियत दी जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि उस तरफ बैठने के बाद तो कम से कम हमारे साथियों को ग़रीबों और दलितों की याद आयी। जिनको पिछले 16 महीने में यह लोग भूल गये थे। मान्यवर, हमारा उत्तर स्पष्ट है। हमने केन्द्र सरकार से परमीशन मांगी है और जैसे ही इस बारे में हमें केन्द्र सरकार की संस्तुति मिल जायेगी, हमारी सरकार कुटीर ज्योति योजना को पुनः लागू करने पर ध्यान देगी और किसी भी तरह से गरीबों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायेगी।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, जैसा कि मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जी ने कहा कि सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार हो रहा है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा। यह कुटीर ज्योति योजना हमने ही शुरू की थी।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कुटीर ज्योति योजना का दुरुपयोग किया गया है। इन घरों में रात के समय चार–पांच बल्ब जलाये जाते थे और हीटर का प्रयोग भी किया जाता था। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कुटीर ज्योति योजना में भी मीटर व्यवस्था लागू की जाये ताकि बिजली का दुरुपयोग रोका जा सके।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय चीमा जी ने गरीब लोगों के प्रति जो चिन्ता व्यक्त की और उस पर शासन ने वक्तव्य दिया। आपने कुटीर ज्योति योजना शुरू कराई और भाजपा ने यह योजना बन्द कर दी। मान्यवर, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि उन बेचारों की क्या गलती थी कि उन्हें कुटीर ज्योति योजना के तरह बिजली दी गई और कहा गया था कि आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जायेगा और उसके बाद उनको दो–ढाई हजार के बिल दे दिये गये। मान्यवर यह पूरे उत्तराखण्ड की समस्या है। मान्यवर, गरीबों के साथ एक हादसा हुआ है। मेरा अनुरोध है नेता सदन से कि उनकी वसूली को माफ किया जाये। यह कोई बहुत बड़ी धनराशि भी नहीं है और इससे विद्युत विभाग का कोई बहुत बड़ा भला होने वाला भी नहीं है। कृपा करके इसे माफ कर दिया जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैंने कह दिया सारे प्रकरण पर विचार किया जायेगा। इसे मंत्रिपरिषद् के सामने लाना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद् ही इस पर विचार करेगी। मैंने पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे दिये हैं।

* काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अकबरपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में जिन लोगों ने बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया उनके घर भी बिल भेज दिये गये हैं। मान्यवर, उनके यहां एक बल्ब भी नहीं जल रहा है, फिर भी बिल भेज दिया गया। अब पता नहीं कि उनके घरों में बिजली वायरलेस से दी जा रही है या इण्टरनेट से।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक 20 मार्च, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 (नत्थी–क) के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 20 मार्च को मैंने माननीय खाद्य मंत्री से एक प्रश्न पूछा था.....।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री [श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश]–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिन्धु–गुजरात–मराठा।
द्राविड़ उत्कल बंग।।
विन्ध्य हिमाचल–यमुना–गंगा।
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे।
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 05 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून :
दिनांक : 22 मार्च, 2002

नत्थी "क"

[देखिए तारांकित प्र0 सं0–2 (पीछे पृष्ठ–5 पर) का उत्तर]

क्र0सं0	मुख्य मांगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही की स्थिति
1.	नवोदित राज्य में स्टेट फार्मेसी काउन्सिल की स्थापना की जाय।	फार्मेसी अधिनियम, 1948 के भाग–3, 4, 5, को उत्तरांचल राज्य में प्रवर्तन हेतु अंगीकृत कर लिया गया है। अधिनियम के भाग–5, धारा 42 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा फार्मेसी नियमावली उत्तरांचल के प्रयोजनार्थ उपान्तरित कर अधिसूचित किया जा चुका है।
2	एन0टी0आई0 पैटर्न के अन्तर्गत टी0 बी0 क्लीनिक में कार्यरत फार्मासिस्टों का बैंगलोर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाय।	एन0टी0आई0, बैंगलोर में प्रशिक्षण हेतु एन0 टी0 आई0, बैंगलोर से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इस प्रशिक्षण में फार्मासिस्टों को भेजे जाने के लिए सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
3.	वरिष्ठता सूची जारी की जाये।	वरिष्ठता सूची तैयार कर सभी जनपदों को आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रेषित की गयी हैं। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी।
4.	फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी, फार्मेसी के रिक्त पदों को भरा जाना।	वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात् इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।
5.	प्रभार भत्ता रु0 75/– से बढ़ाकर रु0 2500/– किया जाय।	प्रभार भत्ता रु0 75/– से बढ़ाकर वर्ष 1989 से बढ़ी हुई मंहगाई भत्तों की दरों की गणना के अनुसार प्रभार भत्ता रु0 230/– प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
6.	फार्मासिस्टों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर एवं ई0 एस0 आई0 में कार्यरत फार्मासिस्टों के अनुरूप वेतनमान दिये जाये।	ई0 एस0 आई0 के फार्मासिस्टों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने के संबंध में ई0एस0आई0 द्वारा जारी शासनादेश में अंकित वेतनमान शासन द्वारा कृत कार्यवाही की स्थिति निरस्त कर संशोधित किये जा चुके हैं। अतः उक्त के आधार पर वेतनमान दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। फार्मासिस्टों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन दिये जा रहे हैं।
7.	फार्मेसी सेवाओं के पुनर्गठन कर पदों का सृजन किया जाये।	उत्तरांचल हैल्थ डैवलपमेन्ट परियोजना से पदों के सृजन के औचित्य का परीक्षण कराया जा रहा है।

क्र0सं0	मुख्य मांगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही की स्थिति
8.	फार्मासिस्टों की राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जाय।	कार्यवाही विचाराधीन है।
9.	संगठन हेतु भवन आवंटित किया जाय।	वर्तमान में भवन उपलब्ध नहीं है।
10.	शासकीय सेवा में कार्यरत डिप्लोमा फार्मासिस्ट को चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों की भांति डिप्लोमा फार्मासिस्ट को प्रशिक्षण की सुविधा दिये जाने हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाय।	इस संबंध में कुमायूं एवं गढ़वाल विश्व–विद्यालयों से पत्राचार किया जा रहा है।
11.	औषधियों की गुणवत्ता हेतु प्रयोग–शाला स्थापित की जाय।	प्रकरण विचाराधीन है।
12.	पैशेन्ट केयर भत्ता दिया जाय।	पैशेन्ट केयर भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधान सभा/255–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।